भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे भर्ती बोर्ड

केंद्रीकृत रोज़गार सूचना (सीईएन) सं. 02/2019

पैरामेडिकल श्रेणियों की भर्ती

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे भर्ती बोर्ड

केंद्रीकृत रोज़गार सूचना (सीईएन) सं. 02/2019

पैरामेडिकल श्रेणियों के लिए

महत्वपूर्ण तिथियाँ एवं समय	
प्रकाशन की तिथि	23.02.2019
रेलवे भर्ती बोर्डों की अधिकारिक वेबसाइटों में प्रकाशन की तिथि	04.03.2019
ऑनलाइन पंजीकरण का प्रारंभ	04.03.2019 को 10:00 बजे
ऑनलाइन पंजीकरण की समाप्ति	**02.04.2019 को 23:59 बजे**
ऑफलाइन भुगतान करने की समाप्ति	04.04.2019 को 13:00 बजे
ऑनलाइन भुगतान करने की समाप्ति	05.04.2019 को 22:00 बजे
सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन ऑनलाइन जमा करने की समाप्ति	**07.04.2019 को 23:59 बजे**
कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी)	जून 2019 के पहले सप्ताह में संभावित

कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं तथा प्रक्रिया की जानकारी समय-समय पर इस सूचना के पैरा - 20.0 में दी गई सूचना के अनुसाररेलवे भती बोर्ड(आरआरबी) की वेब्साइटों के माध्यम से दी जाएगी।

रेलवे भर्ती बोर्ड पैरामेडिकल श्रेणियों के पदों के लिए इस सीईएन के पैरा 4.0 के तहत योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदनों को आमंत्रित करता है

रिक्तियों का विवरण

कोटि सं.	पद का नाम	VIIवें सीपीसी में स्तर	प्रारंभिक वेतन (रु.)	चिकित्सा मानक	कुल रिक्तियाँ
1	डायटीशियन	7	44900	C2	4
2	स्टाफ नर्स	7	44900	C1	1109
3	डेन्टल हाइजीनिस्ट	6	35400	C2	5
4	डयालिसिस तकनीशियन	6	35400	B1	20
5	एक्सटेन्शन एडुकेटर	6	35400	C1	11
6	स्वास्थय व मलेरिया निरीक्षक ग्रेड-।।।	6	35400	C1	289
7	प्रयोगशाला अधीक्षक ग्रेड-।।।	6	35400	B1	25
8	आपतोमेट्रीस्ट	4	25500	B1	6
9	पर्फ्युशनिस्ट	6	35400	B1	1
10	फिसियोथेरेपिस्ट	6	35400	C1	21
11	फार्मासिस्ट ग्रेड-।।।	5	29200	C2	277
12	रेडियोग्राफर	5	29200	B1	61
13	स्पीच थेरेपिस्ट	5	29200	B1	01
14	ईसीजी तकनीशियन	4	25500	C1	23
15	लेडी हेल्थ विसिटर	4	25500	C1	02
16	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-।।	3	21700	B1	82
कुल योग					**1937**

महत्वपूर्ण निर्देश

1. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे **ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि (02.04.2019) के दिन,** पद(पदों) के लिए निर्धारित सभी योग्यता शर्तों को धारण/ परिपूर्ण करते हैं। **निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के लिए अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन न करें।**
2. ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रेलवे भर्ती बोर्डों की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध सीईएन में दिए संपूर्ण निर्देशों और जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ लें।
3. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीईएन के पैरा 20.0 पर सूचित रेलवे भर्ती बोर्डों की अधिकारिक वेबसाइटों पर ही जाएँ तथा नकली वेबसाइटों एवं जालसाज़ों से सावधान रहें।
4. **चूँकि रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा भर्ती से संबंधित सारी सूचनाएँ केवल एसएमएस अथवा ई-मेल द्वारा भेजी जाएँगी, अतः उम्मीदवारों के पास अपना स्वयं का मोबाइल नंबर एवं वैध तथा कार्यरत (चालू) ई-मेल आईडी होने चाहिए। भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने तक मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी सक्रिय होने चाहिए। किसी भी चरण पर मोबाइल नंबर और ई-मेल पते में परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर रेलवे भर्ती बोर्ड विचार नहीं करेगा।**
5. **अधिसूचित विभिन्न पदों के लिए रिक्तियाँ अनुलग्नक-बी में दी गई हैं।**
6. **पद और वेतन का स्तर** : यह अनुलग्नक-ए में प्रत्येक पद के लिए इंगित किया गया है।
7. **दिनांक 01.07.2019 के दिन आयु सीमा :प्रत्येक पद के लिए निचली और ऊपरी आयु सीमा, ऊपरी आयु में छूट सहित, पैरा 5.1 में दी गई है।**
8. **चिकित्सा मानक** :
   उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद से संबंधित चिकित्सा मानक (मानकों) को पूरा करते हैं। **आवेदन किए गए पद से संबंधित चिकित्सा मानक (मानकों) को पूरा न करने वाले उम्मीदवारों को वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी।**
9. **ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर ही उम्मीदवार की पात्रता पर विचार किया जाएगा।** उम्मीदवारों को आवेदन या प्रमाणपत्रों के प्रिंटआउट या उनकी कॉपी संबंधित रेलवे भर्ती बोर्डों को डाक के माध्यम से भेजने की आवश्यकता नहीं है। यदि भर्ती की प्रक्रिया के किसी भी चरण के दौरान अथवा उसके पश्चात् यदि यह संज्ञान होता है कि उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन में दी गई कोई जानकारी गलत है/ सही नहीं है अथवा उम्मीदवार द्वारा संबंधित जानकारी को छिपाया गया है अथवा उम्मीदवार पद (पदों) के लिए पात्रता मानदंड पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी तत्काल अस्वीकृत कर दी जाएगी। **उम्मीदवार चुने हुए रेलवे भर्ती बोर्ड, ई-मैल आईडी और मोबाइल नंबर के सिवाय आवेदन में दिए गए विवरण को आवेदन की प्रस्तुति के बाद लेकिन आवेदन प्रस्तुति की अंतिम तिथि के पहले संशोधन शुल्क अदा करके बदल सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदन में दिए गए ब्योरे में संशोधन के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।**
10. **परीक्षा के चरण** : एकल चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) होगी। अतिरिक्त सीबीटी आयोजित करने का अधिकार रेलवे भर्ती बोर्ड सुरक्षित रखते हैं।
11. **नकारात्मक अंकन** : कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं में गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से 1/3 अंक प्रत्येक गलत उत्तर के लिए काट लिए जाएँगे।
12. **प्रतिबंधित मदें :-** परीक्षा हाल के अंदर मोबाइल फ़ोन, ब्ल्यूटूथ, पैन ड्राइव, लैपटाप, कैलकुलेटर, हाथ घड़ी अथवा अन्य कोई संचार उपकरण जैसे इलेक्ट्रानिक्स गैजेट अथवा पैन/ पेंसिल, वालेट/ पर्स, बेल्ट और धात्विक कपड़े या आभूषण इत्यादि लाना सख़्त मना है। इन निर्देशों का उल्लंघन करने के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी रद्द करने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आगे की परीक्षाओं में बैठने के लिए प्रतिबंध लगाया जाना भी शामिल है।
13. उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त प्रतिबंधित वस्तुओं को परीक्षा हाल में ले कर न आएँ, **क्योंकि इन वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए परीक्षा स्थल पर कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है।**
14. केंद्र/ शहर का आबंटन तकनीकी और तार्किक व्यावहार्यता पर निर्भर करेगा। उम्मीदवारों को अन्य शहरों/ राज्यों की यात्रा करनी पड़ सकती है।
15. उम्मीदवार को पद मापदंड तालिका (पोस्ट पैरामीटर तालिका) और रिक्ति तालिका को पढ़ना आवश्यक है और अपनी पात्रता के आधार पर **किसी एक ही रेलवे भर्ती बोर्ड में** ऑनलाइन माध्यम द्वारा आवेदन करने के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी है। **एक बार रेलवे भर्ती बोर्ड का चयन करने के पश्चात् वह अंतिम होगा। एक से अधिक रेलवे भर्ती बोर्ड में आवेदन करने से सभी आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।**

1.0 सामान्य निर्देश :

1.1 उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन होते हुए, भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों के लिए प्रवेश विशुद्ध रूप से अनंतिम होगा।

1.2 उम्मीदवारों को ई-बुलावा पत्र भेजे जाने का अर्थ यह नहीं है कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा उनकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से स्वीकृत की गई है।

1.3 परीक्षा के सभी चरणों में उम्मीदवार योग्य होने के बाद ही रेलवे भर्ती बोर्ड मूल दस्तावेज़ों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन करते हैं। यदि उम्मीदवार अपेक्षित मापदंडों को पूरा नहीं करता है, तो भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर किसी भी आवेदक की उम्मीदवारी को रेलवे भर्ती बोर्ड अस्वीकार कर सकता है, और यदि नियुक्ति हो चुकी है, तो ऐसे उम्मीदवार को सेवा से तत्काल हटाया जा सकता है।

1.4 इस सीईएन के अंतर्गत पद (पदों) हेतु आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आयु, शैक्षणिक योग्यता (योग्यताएँ) तथा चिकित्सा मानक (मानकों) सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि **ऑनलाइन पंजीकृत किए जाने की अंतिम तिथि (दिनांक 02.04.2019) को** उनके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय/ संस्थान द्वारा जारी अपेक्षित शैक्षणिक/ व्यावसायिक योग्यताएँ हैं। **जो उम्मीदवार निर्धारित योग्यता की अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे पात्र नहीं हैं,अतः उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।**

1.5 सूचना तथा/ अथवा तथ्यों में थोड़े बदलाव के साथ एक से अधिक रेलवे भर्ती बोर्ड में तथा/ अथवा उसी रेलवे भर्ती बोर्ड में एक से अधिक आवेदन करने का प्रयत्न करने वाले उम्मीदवारों के आवेदन सीधे रद्द कर दिए जाएँगे तथा ऐसे उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड की आगे की सभी परीक्षाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

1.6 जिन उम्मीदवारों को किसी रेलवे भर्ती बोर्ड/ रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा जीवन भर के लिए प्रतिबंधित किया गया है या जिसकी अवधि अभी पूरी नहीं हुई है, ऐसी निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिबंधित किया गया है, वे इस सीईएन के लिए आवेदन ना करें। संज्ञान होते ही भर्ती के किसी भी चरण पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

1.7 **उम्मीदवारों को अपना नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि का उल्लेख केवल अपने मैट्रिक/ एसएसएलसी/ हाई स्कूल परीक्षा प्रमाणपत्र अथवा किसी समतुल्य प्रमाणपत्र में दर्ज़ किए अनुसार ही करना चाहिए।**

नाम परिवर्तित होने की स्थिति में उम्मीदवार को केवल ऑनलाइन आवेदन में अपने परिवर्तित नाम का उल्लेख करना चाहिए। तथापि, अन्य विवरण मैट्रिक अथवा समतुल्य प्रमाणपत्रों के साथ मेल खाने चाहिए। ऐसे परिवर्तन या ऐसे परिवर्तन के लिए आवेदन की तिथि ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत किए जाने की तिथि से पूर्व की होनी चाहिए।

ऐसे मामलों के लिए लागू राजपत्र अधिसूचना अथवा अन्य विधिक दस्तावेज़, दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

1.8 भर्ती के सभी चरणों के दौरान सभी दस्तावेज़ों पर उम्मीदवारों के हस्ताक्षर एक समान होने चाहिए तथा ये ब्लॉक/ बड़े अक्षरों में नहीं होने चाहिए। कंप्यूटर आधारित परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन आदि के समय विभिन्न स्वरूपों में किए जाने वाले हस्ताक्षरों के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

1.9 भाग लेने वाले रेलवे भर्ती बोर्डों की आधिकारिक वेबसाइटों पर भी परीक्षा की तिथियों का प्रकाशन किया जाएगा तथा सीबीटी एवं दस्तावेज़ सत्यापन (जैसा लागू हो) के लिए ई-बुलावा पत्र केवल संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से ही डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। आरआरबी द्वारा डाक के माध्यम से उम्मीदवार के साथ कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा। बुलावा पत्र में सूचित परीक्षा केंद्र, तिथि तथा पारी अर्थात शिफ्ट अंतिम होंगे। बिना किसी कारण बताए अतिरिक्त सीबीटी और/ या अतिरिक्त दस्तावेज़ सत्यापन आदि आयोजित करने का अधिकार रेलवे भर्ती बोर्ड सुरक्षित रखते हैं।

1.10 सीईएन में सूचित रिक्तियाँ अनंतिम हैं तथा रेलवे प्रशासन की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार यह पूर्णतया या किसी विशिष्ट रेलवे/ इकाइयों/ समुदायों/ पदों में बाद में बढ़ या घट सकती हैं या शून्य भी हो सकती हैं। रेलवे/ इकाई (इकाइयों) द्वारा आवश्यकता होने पर बाद में अतिरिक्त पद भी शामिल किए जा सकते हैं।

1.11. **पद और / या रेलवे (रेलों) / यूनिट के लिए वरीयता :** चुने गए रेलवे भर्ती बोर्ड में विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों के विकल्प, जिनके लिए वे योग्य हैं, ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दौरान लिए जाएँगे।

1.11.1 भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों के पूरा होने पर रेलवे भर्ती बोर्ड उम्मीदवारों के विकल्प के अनुसार पद और रेलवे/ यूनिट आवंटित करेंगे, जो केवल योग्यता और रिक्ति की स्थिति के अधीन होंगे। एक बार उम्मीदवारों को उनकी योग्यता / पसंद के अनुसार पैनल में रख लिया जाता है, तो वे किसी अन्य पद / श्रेणी के लिए विचार किए जाने के लिए अधिकृत नहीं रहेंगे।

1.11.2 आंशिक विकल्प वाले उम्मीदवारों को उनके द्वारा चुने गए विशिष्ट श्रेणियों के लिए ही माना जाएगा। कुछ पदों या सभी पदों के लिए गैर-विकल्प को उसके लिए उसके लिए उनकी अनिच्छुकता के रूप में माना जाएगा।

1.11.3 यद्यपि प्रशासनिक हित में आवश्यक माना जाता है, तो रेलवे भर्ती बोर्ड भी उम्मीदवारों को पद/ रेलवे/ यूनिट को आबंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, जो की संबंधित पद की आवश्यकताओं को उम्मीदवार (उम्मीदवारों) के द्वारा पूर्ण करने के अधीन होगा।

1.11.4 पैनल में रखे गए उम्मीदवारों की कमी या अन्य अनिवार्यताओं के मामले में, रेलवे भर्ती बोर्ड उम्मीदवारों की योग्यता और विकल्प के अनुसार, यदि आवश्यक हो, तो उम्मीदवारों की अतिरिक्त सूची का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

1.11.5 उम्मीदवारों द्वारा अंतिम तिथि तक उपर्युक्त कारणों अथवा किसी अन्य कारणों से अपने आवेदन प्रस्तुत न करने की स्थिति में रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा किसी प्रकार का उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया जाएगा।

1.12 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को मुफ़्त शयनयान श्रेणी रेलवे पास स्वीकार्य होगा। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के जो उम्मीदवार मुफ़्त यात्रा प्राधिकार का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में संबंधित कॉलम में 'हाँ' अंकित करना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को भर्ती के विभिन्न चरणों यथा सीबीटी, दस्तावेज़ सत्यापन (जैसा भी लागू हो) के लिए जारी ई-बुलावापत्र में उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय अपलोड किए गए वैध जाति प्रमाणपत्र के विवरण के आधार पर मुफ़्त शयनयान श्रेणी रेलवे पास शामिल होगा। मुफ़्त यात्रा प्राधिकार का लाभ उठाने वाले उम्मीदवारों की यह जिम्मेदारी है कि वे ऑनलाइन आवेदन में रेलवे स्टेशन का सही नाम भरें, जिसके बिना उनका यात्रा प्राधिकार आरक्षण प्राप्त करते समय अमान्य हो सकता है। आरक्षण के समय तथा यात्रा के दौरान, आरक्षण क्लर्क तथा/ अथवा टिकट जाँच करने वाले कर्मचारी, उम्मीदवार की असलियत के सत्यापन के लिए उससे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के मूल प्रमाणपत्र की माँग करेंगे। **इस यात्रा प्राधिकार के दुरूपयोग किए जाने वाले किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप, आगे की परीक्षाओं के लिए प्रतिबंधित किए जाने के साथ-साथ भर्ती की प्रक्रिया के किसी भी चरण पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।**

1.13 अंतिम क्षणों में भीड़ (व्यस्तता) से बचने के लिए उम्मीदवारों को उन्हीं के हित में यह सलाह दी जाती है कि वे अपने ऑनलाइन आवेदन को अंतिम तिथि के पर्याप्त समय से पूर्व जमा कर दें, क्योंकि अंतिम दिनों के दौरान इंटरनेट अथवा वेबसाइट पर भारी लोड होने के कारण संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर लॉग ऑन करने में असमर्थता/ असफलता हो सकती है। उम्मीदवारों द्वारा अंतिम तिथि तक उपर्युक्त कारणों अथवा किसी अन्य कारणों से अपने आवेदन प्रस्तुत न करने की स्थिति में रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा किसी प्रकार का उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2.0 रिक्तियाँ :

2.01 सीईएन में शामिल विभिन्न पदों के पद मानदंडों अर्थात (योग्यता, चिकित्सा मानक और पीडब्ल्यूबीडी के लिए पद की उपयुक्तता इत्यादि) **अनुलग्नक -ए** में शामिल हैं।

2.02 एससी, एसटी, ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर), ईडब्ल्यूएस, भूतपूर्व सैनिक और पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिक्त पदों के लिए आरक्षण सहित सभी अधिसूचित पदों के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे/ यूनिट और पदवार रिक्तियाँ **अनुलग्नक-बी** में शामिल हैं।
रेलवे प्रशासन अधिसूचित रिक्तियों को अपने विवेक के अनुसार रद्द करने का अधिकार अपने पास रखता है। ऐसे निर्णय अंतिम और सभी पर लागू है। अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करते समय उम्मीदवारों द्वारा प्रदत्त परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

3.0 पदों के लिए चिकित्सा मानक :

दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को अपेक्षित चिकित्सा योग्यता परीक्षा (परीक्षाएँ) उत्तीर्ण करनी होंगी, जो उम्मीदवार द्वारा चयनित पद (पदों) से संबंधित कार्यों को, उनके द्वारा कार्यान्वित कर सकने की चिकित्सा योग्यता सुनिश्चित करने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित की जाती है। रेलवे कर्मचारियों की चिकित्सा योग्यता के लिए दृष्टि तीक्ष्णता मानक एक अंत्यत महत्वपूर्ण मापदंड है। विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न मानकों के संबंध में चिकित्सा अपेक्षाओं का वर्णन नीचे दिया गया है :-

क्र .	चिकित्सा मानक	सामान्य योग्यता	दृष्टि मानक
1	बी-1 (B-1)	शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ	दूर की दृष्टि : 6/9, 6/12 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के(लेन्सिस का पावर 4 डी से अधिक नहीं होना चाहिए) नज़दीक की दृष्टि : जब पढ़ने या नज़दीकी काम करने की आवश्यकता हो तब चश्मे के साथ या बिना चश्मे के एसएन : 0.6, 0. 6 तथा रंग दृष्टि, बायनोकुलर दृष्टि, रात्रि दृष्टि, मैसोपिक दृष्टि परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।
2	सी-1(C-1)	शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ	दूर की दृष्टि : 6/12, 6/18 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के नज़दीक की दृष्टि :जब पढ़ना या नज़दीकी कार्य करना आवश्यक हो तब चश्मे के साथ या बिना चश्मे के एसएन : 0.6, 0. 6
3	सी-2(C-2)	शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ	दूर की दृष्टि : 6/12, शून्य चश्मे के साथ या बिना चश्मे के नज़दीक की दृष्टि : जब पढ़ना या नज़दीकी कार्य करना आवश्यक हो तब चश्मे के साथ या बिना चश्मे के एसएन : 0. 6संयुक्त

टिप्पणी : उपर्युक्त चिकित्सा मानक सूचक हैं तथा ये विस्तृत नहीं हैं और ये उम्मीदवारों पर सामान्यतः लागू होते हैं । **उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे भारतीय रेलवे चिकित्सा मैनुअल(आईआरएमएम) खंड 1 के अध्याय 5 का अध्ययन कर लें, जो www.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है। जिन उम्मीदवारों ने रिफ्रेक्टरी दोष में सुधार के लिए लेसिक सर्जरी अथवा कोई अन्य सर्जरी करवाई है, वे बी1(B1) के चिकित्सा मानकों वाले पदों के लिए पात्र नहीं हैं।**

भूतपूर्व सैनिकों पर भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल(आईआरएमएम) खंड I के पैरा 534 में वर्णित मानक लागू होंगे, जो www.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध हैं।

4.0 राष्ट्रीयता/ नागरिकता :

(i) उम्मीदवार निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए :

क. भारत का नागरिक, अथवा

ख. नेपाल का मूल निवासी, अथवा

ग. भूटान का मूल निवासी, अथवा

घ. तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी रूप से निवास करने की मंशा से आया है अथवा

ड भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अमुफ़्तकी देश के केन्या, युगांडा, तंजानिया गणराज्य, मालावी, जाइरे, इथोपिया तथा वियतनाम से आकर भारत में स्थायी निवासी की तरह निवास कर रहा है।

च. बशर्तें यह कि उपर्युक्त श्रेणी(ख), (ग), (घ) तथा (ङ) की श्रेणी से संबंध उम्मीदवारी वाले व्यक्ति के संबंध में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

(ii) ऐसे उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, जिसके मामले में पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जाना आवश्यक हो, तथापि भारत सरकार द्वारा उन्हें आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात् ही नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है।

5.0 आयु सीमा : रिक्ति सारणी में दिए गए सभी निर्धारित पद (पदों) के लिए न्यूनतम तथा अधिकतम आयु का आकलन 01.07.2019 की तिथि के अनुसार किया जाएगा।

5.1 उम्मीदवारों की जन्मतिथि नीचे दिए गए तिथियों के बीच होगी : (दोनों तिथियाँ मिलाकर)

क्र.	आयु वर्ग	जन्मतिथि की निचली सीमा (इससे पश्चात् नहीं)	जन्मतिथि की ऊपरी सीमा (इससे पूर्व नहीं)		
		सभी समुदाय/ श्रेणी के लिए	अना/ ईडब्ल्यूएस	अपिव (गैर क्रीमी लेयर)	अजा/ अजजा
1	18-30	01.07.2001	02.07.1989	02.07.1986	02.07.1984
2	18-35	01.07.2001	02.07.1984	02.07.1981	02.07.1979
3	18-33	01.07.2001	02.07.1986	02.07.1983	02.07.1981
4	19-33	01.07.2000	02.07.1986	02.07.1983	02.07.1981
5	20-33	01.07.1999	02.07.1986	02.07.1983	02.07.1981
6	20-35	01.07.1999	02.07.1984	02.07.1981	02.07.1979
7	20-40	01.07.1999	02.07.1979	02.07.1976	02.07.1974
8	21-40	01.07.1998	02.07.1979	02.07.1976	02.07.1974
9	22-35	01.07.1997	02.07.1984	02.07.1981	02.07.1979

तथापि, ऊपरी/ अधिकतम आयु सीमा में नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित श्रेणियों/ समुदायों को अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने की शर्त पर छूट प्रदान की जाएगी।

क्र .	समुदाय/ श्रेणी	समुदाय	स्नातक स्तरीय पदों के लिए ऊपरी आयु में छूट (या) अधिकतम आयु
1	अन्य पिछड़ा वर्ग -गैर क्रीमी लेयर (एनसीएल)		3 वर्ष
2	अनुसूचित जाति/ जनजाति		5 वर्ष
3	भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार, जिन्होंने अनुप्रमाणन के पश्चात् 6 माह से अधिक की सेवा की है	अना	प्रत्येक पद के लिए उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा और समुदाय आयु छूट जहाँ भी लागू हो और सुरक्षा में प्रदान की गई सेवा तथा 3 वर्ष
		अन्य पिछड़ा वर्ग -गैर क्रीमी लेयर	
		अजा/ अजजा	
4	बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)	अना	10 वर्ष
		अन्य पिछड़ा वर्ग -गैर क्रीमी लेयर	13 वर्ष
		अजा/ अजजा	15 वर्ष
5	**वह उम्मीदवार जो 1.1. 1980से 31.12. 1989की अवधि के दौरान मूलतः जम्मू एवं कश्मीर राज्य का सामान्य निवासी रहा है**	अना	ऊपरी आयु सीमा और समुदाय आयु छूट जहाँ भी लागू हो और पाँच वर्ष
		अन्य पिछड़ा वर्ग -गैर क्रीमी लेयर	
		अजा/ अजजा	
6	वे उम्मीदवार जो रेलवे कर्मचारी के रूप में समूह 'ग' तथा पूर्ववर्ती समूह 'घ' में कार्यरत हैं, रेलवे में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा(निरंतर अथवा खंडित भागों में) के साथ आकस्मिक श्रमिक तथा एवजी का कार्य कर रहे हैं	अना	40 वर्ष
		अन्य पिछड़ा वर्ग -गैर क्रीमी लेयर	43 वर्ष
		अजा/ अजजा	45 वर्ष

7	रेलवे संस्थान के अर्ध प्रशासनिक कार्यालय जैसे, रेलवे कैंटीन कोऑपरेटिव सोसाइटी और इनिस्टिट्यूट में काम करने वाले उम्मीदवार	अना	की हुई सेवा की लंबाई तक या साल जो भी कम हो 5 और समुदाय आयु छूट जहाँ भी लागू हो
		अन्य पिछड़ा वर्ग -गैर क्रीमी लेयर	
		अजा/ अजजा	
8	विधवा, तलाकशुदा या पति से न्यायिक रूप से अलग रहने वाली, लेकिन दुबारा विवाह न करने वाली महिला उम्मीदवार	अना	35 वर्ष
		अन्य पिछड़ा वर्ग -गैर क्रीमी लेयर	38 वर्ष
		अजा/ अजजा	40 वर्ष

यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक आधार पर आयु में छूट के लिए पात्र है, तो वह अधिकतम आयु में छूट प्राप्त करेगा, जिसके लिए वह योग्य है।

5.2 अनारक्षित रिक्तियों के प्रति आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर उम्मीदवारों के लिए आयु छूट लागू नहीं होगी।

5.3 अनारक्षित रिक्तियों के प्रति आवेदन करने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को वही आयु छूट प्रदान की जाएगी, जो अनारक्षित दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए लागू है। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक आधार पर आयु में छूट के लिए पात्र है, तो वह अधिकतम आयु में छूट प्राप्त करेगा, जिसके लिए वह योग्य है।

5.4 उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि उनके द्वारा आवेदन के समय दर्ज़ की गई जन्म तिथि वही होनी चाहिए, जो उसके मैट्रिक / एसएसएलसी / दसवीं अथवा समकक्ष प्रमाणपत्र में दर्ज़ की गई है। इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन के संबंध में प्राप्त अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. 0 शैक्षणिक योग्यताएँ :

इस सीईएन के **<u>अनुलग्नक -ए</u>** में दर्शाए गए अधिसूचित पदों के लिए, ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (02.04.2019) तक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय/ संस्था से प्राप्त अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ उम्मीदवार के पास होनी चाहिए। **उन उम्मीदवारों को <u>आवेदन नहीं करना चाहिए</u>, जिनका निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लिए अंतिम परिणाम प्रतीक्षित है।**

7.0 परीक्षा शुल्क :

इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग के अनुसार निम्नानुसार शुल्क का भुगतान करना होगा -:

क्र .	उम्मीदवार का समुदाय	शुल्क
1	नीचे क्रम संख्या 2 में उल्लिखित छूट प्राप्त वर्ग के अलावा अन्य सभी वर्ग के लिए रु. 500/-रुपए पहले चरण की सीबीटी में सम्मिलित होने पर शुल्क रु.500/- में से रु.400/- की शुल्क राशि पर लागू बैंक प्रभार काटकर शेष राशि की वापसी की जाएगी।	रु. 500/-
2	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / भूतपूर्व सैनिक / दिव्यांग व्यक्ति / महिलाएँ / ट्रांसजेंडर/ अल्पसंख्यक / आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए। पहले चरण की सीबीटी में सम्मिलित होने पर शुल्क रु. 250/- में लागू बैंक प्रभार काटकर शेष राशि की वापसी की जाएगी ।	रु. 250/-

7. 1 शुल्क के भुगतान का माध्यम :

(क) शुल्क का ऑनलाइन भुगतान	डेबिट / क्रेडिट कार्ड का उपयोग या इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से
(ख) शुल्क का ऑफलाइन भुगतान	निम्नलिखित माध्यम से 1. भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में एसबीआई बैंक चालान के माध्यम से। 2. किसी भी कंप्यूटरीकृत डाक घर में पोस्ट ऑफिस चालान भुगतान के माध्यम से।

ऐसे उम्मीदवार, जो दिनांक 02.04.2019 के 23.59 बजे तक पंजीकरण किए हैं, उन्हें ऑफलाइन भुगतान दिनांक 04.04.2019 के 13.00 बजे तक तथा ऑनलाइन भुगतान दिनांक 05.04.2019 के 22.00 बजे तक करने की अनुमति है। भुगतान के पश्चात्, ऐसे उम्मीदवार दिनांक 07.04.2019 के 23.59 बजे तक या उससे पहले अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।

उम्मीदवार द्वारा शुल्क भुगतान के लिए प्रत्येक लागू सेवा प्रभारों का वहन किया जाएगा। शुल्क का भुगतान उपर्युक्तानुसार ऑफलाइन विधि अर्थात ऊपर के (ख) 1 एवं 2 के अनुसार किए जाने की स्थिति में रसीद संभालकर रखी जानी चाहिए। यह रसीद दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान माँगे जाने पर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

7.2 इस सीईएन की अंतिम तिथि (दिनांक 02.04.2019) तक किसी प्रकार का संशोधन / विलोपन / संवर्धन प्राप्त न होने की शर्त पर अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन तथा जोरास्ट्रियन (पारसी) शामिल होगें।

परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर 'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' करते हुए यह उल्लेख करना होगा कि वे उपर्युक्त में से किसी अल्पसंख्यक समुदाय से संबद्ध हैं तथा ऐसा न किए जाने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

7.3 आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवार वे होते हैं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रु .50,000/- रुपए से कम हो। ऐसे उम्मीदवारों के पास आवेदन की तिथि को निर्धारित प्रारूप में अथवा आवेदन जमा करने के पहले जारी करने वाले प्राधिकारी के पत्र शीर्ष (लेटर हेड) पर जारी वैध आय प्रमाणपत्र होना चाहिए और ऐसे प्रमाणपत्र दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत किए जाने चाहिए। बीपीएल कार्ड तथा इज़्ज़त एमएसटी धारक उम्मीदवार भी आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत शुल्क में रियायत पाने के पात्र होंगे। शुल्क में रियायत का दावा करने वाले ऐसे सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करते समय प्रासंगिक प्रमाणपत्र / कार्ड संख्या, जारी तिथि, जारीकर्ता प्राधिकारी, स्थान तथा जारीकर्ता राज्य से संबंधित जानकारी भरनी चाहिए।

7.4 सीबीटी में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन भुगतान (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई) के मामले में इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि क्या वे परीक्षा शुल्क का वापसी योग्य हिस्सा (रु.400/- या रु .250/- जैसा लागू हो) उसी खाते में प्राप्त करना चाहते हैं, जिस खाते से उन्होंने भुगतान किया है या वे वैकल्पिक रूप से लाभार्थी का खाता प्रदान करते हैं, जिसमें वे धनवापसी प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके संबंध में उन्होंने लाभार्थी का नाम, बैंक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड प्रदान किया है। परीक्षा शुल्क का वापसी योग्य हिस्सा, लागू बैंक शुल्क की विधिवत कटौती के पश्चात् वापस किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने एसबीआई चालान या पोस्ट ऑफिस चालान मोड के माध्यम से भुगतान किया है, उन्हें लाभार्थी खाते का विवरण अर्थात लाभार्थी का नाम, बैंक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड प्रदान करना चाहिए, जिसमें वे धनवापसी प्राप्त करना चाहते हैं। सही बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी उम्मीदवारों की है और रेलवे भर्ती बोर्ड इस संबंध में उम्मीदवार से कोई पत्राचार नहीं करेगा।

7.5 **जिन उम्मीदवारों का आवेदन अधूरा है या जिन्होंने अपना आवेदन जमा नहीं किया है या जिनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है, उनके द्वारा भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।**

8.0 ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) आरक्षण :

8.1 इस सीईएन में अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) – गैर क्रीमी लेयर (एनसीएल) तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के संबंध में यथा लागू एवं स्वीकार्य तथा विद्यमान नियमों के तहत माँगकर्ता रेलवे द्वारा दी गई सूचना, रिक्ति तालिका में किए गए उल्लेख के अनुसार ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

8.2 किसी भी समुदाय के सभी उम्मीदवार अनारक्षित उम्मीदवारों के मापदंडों को पूरा किए जाने की शर्त पर अनारक्षित रिक्तियों के प्रति विचारणीय होंगे। तथापि, विशिष्ट समुदायों (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर / ईडब्ल्यूएस) के लिए निर्दिष्ट रिक्तियों के प्रति केवल संबद्ध समुदायों के उम्मीदवारों के संबंध में ही विचार किया जाएगा।

8.3 आरक्षण प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय **अनुलग्नक-।**(अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए) तथा **अनुलग्नक-।।** (अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर के लिए) में दिए गए प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों से प्राप्त जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों को विशेष रूप से यह उल्लेख करना होगा कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना(एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 तथा दिनांक 09.03.2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्थापना(आरईएस) तथा दिनांक 27.05.2013, दिनांक 13.09.2017 एवं इस सीईएन की ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि (दिनांक 02.04.2019) तक प्राप्त आगामी संशोधनों, यदि कोई हो, में उल्लिखित व्यक्तियों / वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबद्ध नहीं हैं। उम्मीदवारों को इस अधिसूचना के विरूद्ध आवेदन प्रस्तुत करते समय अपनी संबद्धता अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर से होना सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय निर्धारित प्रारूप में अन्य पिछड़ा वर्ग का वैध प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान, समुदाय प्रमाणपत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग) प्रस्तुत किए जाने के अलावा **अनुलग्नक -।।ए** के अनुसार निर्धारित प्रारूप में यह घोषणा भी करनी होगी कि वे क्रीमी लेयर से संबद्ध नहीं हैं। ऐसा न किए जाने की स्थिति में आरक्षण स्थिति (अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर) से संबंधित उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे उम्मीदवारों के आवेदन / उम्मीदवारी केवल सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी की पात्रता शर्तों के अनुरूप सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों के लिए विचारणीय होगी।

8.4 **ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) आरक्षण** :

वे उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग -एनसीएल आरक्षण योजना के अंतर्गत नहीं आते और जिनकी पारिवारिक सकल वार्षिक आय रु. 8 लाख (आठ लाख रुपए) से कम है, उनकी पहचान ईडब्ल्यूएस के रूप में की जाए, ताकि उन्हें ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का लाभ मिल सके। आय में आवेदन किए गए वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों, यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से हुई आय भी शामिल होगी। साथ ही, उन उम्मीदवारों की पहचान ईडब्ल्यूएस के रूप में नहीं की जाएगी जिनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति होगी, चाहे उनकी पारिवारिक आय कुछ भी हो :

i. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;
ii. 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट ;
iii. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड ;
iv. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

ईडब्ल्यूएस का दर्ज़ा निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति होल्डिंग टेस्ट करते समय अलग-अलग स्थानों या भिन्न -भिन्न जगहों/ शहरों में एक 'परिवार' द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को एक साथ संयोजित किया जाए।

उक्त उद्देश्य के लिए शब्द 'परिवार' में शामिल होंगे -आरक्षण की माँग करने वाला व्यक्ति, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के उसके भाई-बहन और इसके साथ-साथ उसके पति / पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के उम्मीदवार।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ लिया जा सकता है। ईडब्ल्यूएस में होने के उम्मीदवार के दावे के रूप में केवल **अनुलग्नक ।।।** में दिए गए निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित में से किसी भी एक प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र को ही स्वीकार किया जाएगा :

क) जिला मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उपायुक्त/ अतिरिक्त उपायुक्त/ प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/ उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
ख) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
ग) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे के न हों तथा
घ) उस क्षेत्र के उपविभागीय अधिकारी, जहाँ उम्मीदवार और या उनका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास इस केंद्रीकृत रोज़गार सूचना हेतु आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि को आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र होने चाहिए। तदनुसार, उनको प्रमाणपत्र संख्या, प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि, जारीकर्ता प्राधिकारी, जारी करने वाले जिला और राज्य को ऑनलाइन आवेदन में भरना है। इसके अलावा, इन उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान वैध आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र अवश्य प्रस्तुत करना होगा। इन शर्तों के अनुपालन न करने की स्थिति में ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षित स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी / आवेदन पर केवल सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों के तहत ही विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

8.5 अजा/ अजजा/ अपिव/ एनसीएल/ ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार जो अपेक्षित शैक्षणिक/ तकनीकी/ व्यावसायिक योग्यताएँ रखते हैं, अनारक्षित रिक्तियों के विरूद्ध आवेदन कर सकते हैं। उनको अनारक्षित उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करना पडेगा और ऐसे अजा/ अजजा/ अपिव/ एनसीएल/ ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार आयु सहित किसी छूट के लिए योग्य नहीं होंगे। फिर भी उम्मीदवारों को आवेदन में अपना वास्तविक समुदाय सूचित करना पड़ेगा।

8.6 केंद्रीकृत रोज़गार सूचना जारी किए जाने की अंतिम तिथि तक ही समुदाय/ ईडब्ल्यूएस स्थिति के संबंध में आरक्षण लाभ प्रदान करने के लिए पात्र होने की स्थिति में विचार किया जाएगा तथा उम्मीदवार के समुदाय/ ईडब्ल्यूएस स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन होने से उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

9. 0 क्षैतिज (होरीजेन्टल) आरक्षण :

9. 1 इस सीईएन में किसी भी समुदाय के भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के संबंध में क्षैतिज (होरीजेन्टल) आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

9. 2 भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के संबंध में जहाँ कहीं भी रिक्ति तालिका में रिक्तियों से संबंधित सूचना दर्शाई गई है, वह अलग नहीं है तथा रिक्तियों की कुल संख्या में शामिल की गई है।

9. 3 जहाँ कहीं भी पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिक्तियाँ अलग-अलग समुदायवार आवंटन के बिना दिखाई जाती हैं, वे रिक्तियाँ अलग हैं और नियमित रिक्तियों का हिस्सा नहीं हैं।

9. 4 भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार भी ऐसे नियमित पद (पदों) के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित नहीं हैं। ऐसे पदों के लिए भी वे आयु में तथा शुल्क में छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे जैसा कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित है।

9. 5 दिव्यांग उम्मीदवार भी ऐसे नियमित पद (पदों) के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित नहीं हैं, परंतु पद उनकी दिव्यांगता के दृष्टिकोण से अवश्य उपयुक्त होना चाहिए। ऐसे पदों के लिए भी वे आयु तथा शुल्क में छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे, जैसा कि दिव्यांगों के लिए निर्धारित है।

9. 6 दिव्यांग व्यक्तियों के मामले में यदि उनके पक्ष में आरक्षित पदों को अक्षमता श्रेणी के तहत उपयुक्त उम्मीदवारों की गैर उपलब्धता के कारण या कोई अन्य उपयुक्त कारण से नहीं भरा गया, तो ऐसी रिक्तियों को नहीं भरा जाएगा और बैकलॉग रिक्तियाँ के तहत उन्हें अगले भर्ती प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

यद्यपि केंद्रीकृत सूचना में बताए बैक लॉग रिक्तियों के तहत सूचित पदों के लिए निर्धारित अक्षमता वाले उम्मीदवार न मिलने पर उपयुक्त पद के लिए अन्य अक्षमता वाले उम्मीदवार द्वारा उन पदों को भरा जाएगा, जिनके लिए वे उपयुक्त है। कोई दिव्यांग उम्मीदवार की गैर उपलब्धता के मामले में जिनके लिए पद उपयुक्त है, उन पदों को मैरिट के अनुसार नियमित उम्मीदवारों (जो दिव्यांग नहीं हो) द्वारा भरा जाएगा।

10. 0 भूतपूर्व सैनिक :

10. 1 भूतपूर्व सैनिक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने किसी भी रैंक (युद्धशील अथवा गैर युद्धशील) पर भारत संघ के नियमित थल, जल अथवा वायु बलों में सेवा की है, परंतु इनमें वे व्यक्ति शामिल नहीं होंगे, जिन्होंने रक्षा सुरक्षा वाहनी, सामान्य आरक्षित इंजीनियरिंग बल, लोक सहायक सेना तथा अर्द्ध सैनिक बलों में सेवा की है। तथा

10.1.1 वह व्यक्ति, जो स्वयं अपने अनुरोध पर अथवा अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् नियोक्ता द्वारा कार्य मुक्त, सेवा से सेवानिवृत्त अथवा सेवा मुक्त अथवा कार्य मुक्त हुआ है, (अथवा)

10.1.2 ऐसा व्यक्ति जो सैन्य सेवा से जुड़ी अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थिति के कारण चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया है तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन प्रदान की जा रही है, (अथवा)

10.1.3 जो ऐसी सेवाओं से स्थापना में की गई कटौती के परिणामस्वरुप कार्यमुक्त कर दिया दिया गया है, (अथवा)

10.1.4 जो ऐसी सेवा में अपनी सेवाओं की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी होने पर या जो उसके अनुरोध पर अथवा बर्ख़ास्तगी द्वारा अथवा कदाचार अथवा कार्य अक्षमता के कारण कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा उसे ग्रेच्युटी प्रदान किया गया है, तथा जिसमें प्रादेशिक सेना अर्थात् अनवरत सम्मिलित सेवाओं अथवा योग्य सेवा का खंडित भाग सम्मिलित है; (अथवा)

10.1.5 सेना डाक सेवा के कार्मिक, जो नियमित सेना के भाग हैं तथा जो सेना डाक सेवा से पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में पदावनति के साथ सेवानिवृत्त नहीं किए गए हैं अथवा जो सेना डाक सेवा से सैन्य सेवा से जुड़े अथवा उत्पन्न चिकित्सा कारणों अथवा ऐसी परिस्थितियों के कारण कार्यमुक्त किए गए हैं, जो उनके नियंत्रण से परे हैं तथा जिन्हें चिकित्सा एवं अन्य अक्षमता पेंशन दी गई है; (अथवा)

10.1.6 वे कार्मिक, जो सेना डाक सेवा में दिनांक 14 अप्रैल् 1987 से पूर्व छह माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे; (अथवा)

10.1.7 प्रादेशिक सेना के कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों में वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले; (अथवा)

10.1.8 चिकित्सा आधार पर सेवा से बाहर अथवा मुक्त किए गए पूर्व-रंगरूट, जिन्हें दिनांक 01.02.2006 से चिकित्सा अक्षमता पेंशन प्रदान की गई है।

10.2 संघ के सशस्त्र बलो में सेवा करने वाले तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात् भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति अपने सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने से एक वर्ष पूर्व पुनः रोज़गार के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे तथा उन्हें भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली सभी रियायतें प्रदान की जा सकेंगी, परंतु ऐसे व्यक्ति को अपने पद का त्याग तब तक नहीं करना होगा जब तक की वे संघ के सशस्त्र बलों में अपनी सेवा की विशिष्ट अवधि को पूर्ण न कर लें।

तदनुसार, ऐसे सेवारत सुरक्षा कर्मी, जो सीईएन की ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि (दिनांक 02.04.2019) या उसके एक वर्ष के अंदर (दिनांक 02.04.2020 या उससे पूर्व) सेवामुक्त होने वाले हैं, वे भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित पदों तथा अनारक्षित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, तथापि ऐसे उम्मीदवारों के पास सीईएन की **अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 02.04.2019** को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।

10.3 ऐसे भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार, जो केंद्र सरकार के समूह 'ग' तथा 'घ' में भूतपूर्व सैनिक का लाभ ले कर असैनिक रोज़गार (पीएसयू, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय / राष्ट्रीकृत बैंक आदि) पहले ही प्राप्त कर लिए हैं, उनको केवल केंद्र सरकार के अंतर्गत ग / घ के उच्च ग्रेड अथवा कैडर में असैनिक रोज़गार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु छूट के लाभ ही प्रदान किए जाएँगे। ऐसे उम्मदीवार केंद्र सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए विचारणीय नहीं होंगे।

10.4 यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी असैनिक रोज़गार के लिए कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व विभिन्न रिक्तियों के विरूद्ध आवेदन करता है, तो उसे किसी भी अनुवर्ती रोज़गार के लिए भूतपूर्व सैनिक के लाभ प्रदान किए जाएँगे, परंतु ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को असैनिक रोज़गार में कार्यभार ग्रहण करने पर अपने संबंधित नियोक्ता के सम्मुख इस सीईएन के अंतर्गत दिए गए आवेदन के साथ अनेक रिक्तियों के लिए आवेदन के विवरण के संबध में घोषणा / वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा। असैनिक नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) सहित ऐसी घोषणा की पावती दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा ऐसा न किए जाने कि स्थिति में वे भूतपूर्व सैनिक के लिए निर्धारित आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा ये लाभ केवल सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों एवं उन रिक्तियों के लिए लागू होंगे, जिनमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू है।

10.5 भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित चिकित्सा मानक, भारतीय रेल चिकित्सा (आईआरएमएम) के खंड-। के पैरा 534 के अनुसार होंगे, जो www.indianrailways.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

11.0 **मानक (बेंचमार्क) दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरक्षण** :

11.1 पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए पद के लिए उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता, प्रत्येक पद के सामने अनु दिव्यांगता विवरण सहित **'मानक (बेंचमार्क) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता'** कॉलम के अंतर्गत, पद मापदंड सारणी (**अनुलग्नक - ए**) में दर्शाए गए हैं।

मानक दिव्यांगता :- दिव्यांगत व्यक्तियों के अधिकारों के अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी) के अनुसार (दिनांक 19.04.2017 से लागू) मानक दिव्यांगता निम्ननुसार हैं :-

(क) नेत्रहीन और पूर्ण दृश्यता न होना ;

(ख) बधिर और कम सुनाई देना ;

(ग) गति अक्षमता जिसमें मस्तिष्क पक्षाघात (सेरिब्रल पाल्सी), कुष्ठ रोग से स्वस्थ हुए, बौनापन, ऐसीड फेंके जाने से पीड़ित और मांसपेशीय दुर्विकास शामिल हैं ;

(घ) स्वलीनता, बौद्धिक अक्षमता, विशेष सीखने की अक्षमता और मानसिक अस्वस्थता ;

(ङ) प्रत्येक अक्षमता के लिए निश्चित पदों हेतु बधिर-नेत्रहीन सहित खंड(क) से(घ) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में से बहु अक्षमताएँ।

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट दिव्यांगता की परिभाषा निम्नानुसार है :-

11.2 **विनिर्दिष्ट दिव्यांगता की परिभाषा :-**

1 .शारीरिक अक्षमता :-

(क) गति अक्षमता (स्वयं को और वस्तुओं को गति प्रदान करने से संबंधित विशिष्ट क्रियाओं को कर सकने में किसी व्यक्ति की अक्षमता है, जिसके कारण शरीर के अंगों का संचालन प्रतिबंधित हो अथवा प्रमस्तिष्क पक्षाघात की स्थिति हो या दोनों हों), जिसमें :-

(क) "कुष्ठ रोग से स्वस्थ व्यक्ति" - अर्थात जो कुष्ठ रोग से स्वस्थ हुआ है, परंतु निम्नलिखित से पीड़ित है :-

(I) बिना किसी स्पष्ट विकृति के हाथों एवं पैरों में चेतना की कमी के साथ आँख और पलकों में पक्षाघात ;

(II) स्पष्ट विकृति और पक्षाघात, परंतु उनके हाथों और पैर में पर्याप्त गतिशीलता, जिससे सामान्य गतिविधि करने में योग्य हों ;

(III) अत्यंत शारीरिक विकृति के साथ बढ़ती आयु, जो उन्हें किसी लाभदायक व्यवसाय लेने से रोके और "कुष्ठ रोग से स्वस्थ" होने के अनुसार भर्ती किया जाए।

(ख) "प्रमस्तिक पक्षाघात (सेरिब्रल पाल्सी)" का अर्थ, किसी व्यक्ति का जन्म पूर्व, नवजात अवस्था अथवा शैशव काल के विकास के दौरान मस्तिष्क दोष अथवा चोट के परिणामस्वरुप उत्पन्न असामान्य मोटर कंट्रोल मुद्रा के कारण उत्पन्न गैर विकासशील अवस्थाओं के रूप में किया जा सकता है।

(ग) "बौनापन"- अर्थात चिकित्सा या जेनेटिक स्थिति है, परिणामस्वरूप व्यस्क की ऊँचाई 4 फीट 10 ईंच (147 सेंटीमीटर) या कम होती है ;

(घ) "मांसपेशीय दुर्विकास" - अर्थात वंशानुगत अनुवांशिक मांशपेशी बीमारी का समूह है, जो मानव शरीर के मांशपेशी को कमज़ोर करता है और व्यक्तियों में बहु दुर्विकास के साथ जीन में गलत और कम जानकारी रहती है, जो जीन में स्वस्थ मांसपेशी के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकती है। अस्थि-पंजर संबंधी मांसपेशी की कमजोरी को बढ़ाना, मांसपेशी प्रोटीन मे कमी और कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु इसके लक्षण हैं।

(ड.) "एसिड हमले का शिकार" – अर्थात एसिड या उसी प्रकार के संक्षारक वस्तु फेंके जाने के हिंसक हमले के कारण से विकृत व्यक्ति है।

ख) <u>दृष्टि क्षीणता</u> –

(क) दृष्टिहीनता का अर्थ उस स्थिति से है, जिसमें सबसे अच्छे सुधार के बाद किसी व्यक्ति की स्थिति निम्न में से है-

(I) दृश्यता का पूरी तरह से अभाव ; या

(II) बेहतर आँख की दृश्यता उचित लेंसों के साथ 3 / 60 अथवा 10/200 (स्नेलन) से कम हो; या

(III) दृश्यता के क्षेत्र की सीमा का विस्तार 10 डिग्री या इससे कम कोण पर होना।

(ख) "कम दृश्यता" का अर्थ उस स्थिति से है, जहाँ व्यक्ति की स्थिति निम्नानुसार होती है :-

(I) बेहतर आँख की दृश्यता, उचित लेंसों के साथ 6 / 18 अथवा 20 / 60 से 3 / 60 तक या 10 / 200 स्नेलन से अधिक न हो ; या

(II) दृश्यता के क्षेत्र की सीमा का विस्तार 40 डिग्री से 10 डिग्री कोण तक कम होना।

(ग) <u>श्रवण क्षति</u>—

(क)"बधिर" का अर्थ है, वह व्यक्ति जिसके दोनों कानों की वाक् आवृत्ति में 70 डीबी बहरापन है।

(ख) 'कम सुनना' अर्थात वह व्यक्ति जिसके दोनों कानों की वाक् आवृत्ति में 60 डीबी से 70 डीबी बहरापन है।

(ग) (1) 'वाक् और भाषा अक्षमता' का अर्थ एक स्थायी अक्षमता है, जिसमें गला संबंधी (लार्यनजेक्टोमी) या स्वरलोप जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि जैविक या स्नायविक कारणों से वाक् एवं भाषा के एक या एक से अधिक घटकों को प्रभावित करती है।

(2) बौद्धिक अक्षमता का अर्थ उस स्थिति से है, जिसमें बौद्धिक कामकाज(तर्क, सीखने, समस्या सुलझाने) और अनुकुल व्यवहार, जिसमें प्रतिदिन के कामकाज में सामाजिक व व्यवहारिक कुशलता शामिल है, दोनों में ही महत्वपूर्ण कमी के लक्षण दिखते हैं।

(क) "विशिष्ट सीखने की अक्षमता' अर्थात विषम परिस्थितियों का वह समूह जिसमें भाषा बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी में या गणित गणना करने में कठिनाई होती है और जिसमें अवधारणात्मक अक्षमता, वाक् विकार, डिस्ग्राफिया, डिस्केल्कुलिया, दुष्क्रिया और विकासात्मक स्वरलोप इत्यादि जैसी स्थितियाँ शामिल होती हैं।

(ख) “स्वलीनता विस्तार विकार (ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर)” अर्थात स्नायु विकासात्मक स्थिति है, जो जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है, जो व्यक्ति की संवाद क्षमता, रिश्तों को समझने और दूसरे से संबंध बनाने की क्षमता को काफ़ी प्रभावित करती है और यह हमेशा असामान्य या रूढ़िबद्ध संस्कार या व्यवहारों के साथ जुड़ा होता है।

(3) मानसिक व्यवहार --

“मानसिक बीमारी” का अर्थ है सोच, मनोदशा, धारणा, झुकाव या स्मरण शक्ति में पर्याप्त विकार, जिसमें निर्णय क्षमता अति प्रभावित रहती है, जिसके कारण व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य माँगों को पूरा करने की क्षमता प्रभावित रहती है, परंतु जिसमें मंदता शामिल नहीं होता है, जो किसी व्यक्ति के दिमाग का अधूरा विकास या अवरूद्ध होने की स्थिति है, जिसका विशेष लक्षण बुध्दि की उप सामान्यता है।

(4) अक्षमता निम्न के कारण हुआ –

क) पुरानी स्नायविक स्थिति, जैसे-

i) "बहु काठिन्य (मल्टीपल स्क्लेरोसिस)" मतलब सूजनयुक्त तंत्रिका तंत्र रोग, जिसमें दिमाग़ के तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं के चारों ओर फैले हुए माइलिन आवरण तथा रीढ़ की हड्डियों को नुकसान पहुँचता है, जिसके कारण माइलिन रहित तथा दिमाग़ के तंत्रिका ऊतकों और रीढ़ की हड्डियों के एक दूसरे से संपर्क करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ने वाली स्थिति बनती है;

ii) "पार्किंसंस रोग" का तात्पर्य तंत्रिका तंत्र के एक ऐसी प्रगतिशील बीमारी से है, जिसके लक्षण कंपन, मांसपेशियों का अकड़ जाना, धीमी और अनिश्चित गति हैं, जो अधेड़ उम्र तथा बूढ़े लोगों को ज़्यादा प्रभावित करती है, जिसमें दिमाग़ के बेसल गैंग्लिया की अवनति तथा न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की कमी होती है।

ख) रक्त विकार –

i) "हीमोफीलिया" एक अंतर्निहित बीमारी है, जो सामान्यतया पुरुषों में होती है, किंतु महिला से उनके पुत्रों को संप्रेषित हो जाती है, जिसमें ख़ून के थक्के बनने की क्षमता में कमी या नुकसान होता है, जिससे बच्चों में घातक रक्तस्राव होने लगता है;

ii) "थैलेसीमिया" एक ऐसी अंतर्निहित रोग है, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी या अनुपस्थिति के लक्षण पाए जाते हैं।

iii) "सिकल सेल रोग" एक रक्तलायी विकार है, जिसमें ऊतकों तथा अवयवों को नुकसान पहुँचने के कारण क्रोनिक एनीमिया, दर्द तथा कई तरह की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, “हेमोलिटिक” बीमारी में लाल रक्त कोशिकाओं के कोशिका झिल्ली को क्षति पहुँचने के कारण हीमोग्लोबिन का निस्तार होता है।

(5) बहु अक्षमताएँ (जिसमें ऊपर बताई गईं विशेष बीमारियों में एक से अधिक हों) बधिर, अंधापन सहित, ऐसी स्थिति, जिसमें व्यक्ति को सुनने तथा देखने संबंधी कमजोरी हो, जिसके कारण संपर्क, विकास तथा शिक्षा संबंधी गंभीर समस्याएँ होती हैं।

(6) अन्य कोई कोटि, जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हो।

11.3 <u>आरक्षण के लिए बेंचमार्क अक्षमता की डिग्री तथा अक्षमता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी :</u> केवल वही व्यक्ति अपने संबंधित समुदाय में सेवाओं / पदों के संबंध में छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे, जिनकी संबंधित अक्षमता का प्रतिशत 40% से कम नहीं है। छूट और / या आरक्षण प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को दिनांक 15.06.2017 के अक्षमता नियम के साथ अक्षमता के अधिकारों के अध्याय 7 के अंतर्गत नियम 18(1) के फार्म V, VI और VII के अनुसार दस्तावेज़ सत्यापन के समय अक्षमता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। संशोधित प्रारूप के लिए <u>अनुलग्नक V(ए), अनुलग्नक V(बी) और अनुलग्नक V(सी)</u> को देखें। अक्षमता के अधिकारों के अधिनियम 1995 के अंतर्गत जारी वर्तमान अक्षमता प्रमाणपत्र, उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वैध होगा।

11.4 **लेखक (स्क्राइब) की सहायता** : ऐसे दिव्यांग उम्मीदवार जिनकी लेखन की गति प्रमस्तिष्क पक्षाघात के कारण प्रभावित है / एक हाथ वाले उम्मीदवार / मांसपेशियों की कमजोरी वाले उम्मीदवार अपनी ओर से उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। स्क्राइब की सहायता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को इससे संबंधित उल्लेख ऑनलाइन फार्म में करना चाहिए।

स्क्राइब की सेवाएँ निम्नलिखित शर्तों पर प्राप्त की जा सकती है :-

11.4.1 उम्मीदवार को अपने लिए स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

11.4.2 जिस अधिसूचना के लिए उम्मीदवार द्वारा स्क्राइब की सहायता प्राप्त की गई है उस अधिसूचना के अंतर्गत स्क्राइब स्वयं उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। किसी एक स्क्राइब की सेवाएँ एक से अधिक उम्मीदवारों के द्वारा नहीं ली जानी चाहिए। इस संबंध में स्क्राइब और उम्मीदवार को घोषणा प्रस्तुत करनी होगी। इसके प्रति किए गए उल्लंघन की जानकारी किसी स्तर पर होने की स्थिति में स्क्राइब और उम्मीदवार दोनों को अयोग्य माना जाएगा।

11.4.3 स्क्राइब की अपेक्षा करने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन के समय स्क्राइब के संबंध में अनुलग्नक V(डी) के अनुसार स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करना होगा ताकि रेलवे भर्ती बोर्ड ई-बुलावा पत्र जारी कर सके और उस पर उम्मीदवार और स्क्राइब दोनों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। स्क्राइब को कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र पर मूल वैध पहचान-पत्र और पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लाना होगा। (अनुलग्नक V(डी)।

11.4.4 परीक्षा के दौरान स्क्राइब द्वारा किए गए किसी भी कदाचार का उत्तरदायित्व स्क्राइब को लाने वाले उम्मीदवार का होगा।

11.4.5 स्क्राइब की सहायता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट का प्रतिपूरक समय का उपयोग करने के पात्र होंगे।

11.4.6 वे उम्मीदवार जो स्क्राइब की सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, किंतु ऑनलाइन आवेदन के समय स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं, वे सीबीटी केंद्र पर **अनुलग्नक V(डी)** में दिए गए प्रारूप में आवश्यक विवरण भरकर, स्क्राइब के लिए निर्धारित शर्तों का विधिवत अनुपालन करते हुए स्क्राइब की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। आपात स्थितियों में भी स्क्राइब के परिवर्तन की अनुमति, आपात कारणों को विधिवत दर्ज़ करने, संबंधित विवरणों को भरने और अनुलग्नक V(डी) के अनुसार नए स्क्राइब की फ़ोटो चिपकाने के उपरांत दी जा सकती है।

11.5 एक आँख वाले उम्मीदवार और ऐसे उम्मीदवार जिनकी दृष्टि की अक्षमता 40% से कम है, उन्हें दृष्टि विकलांग व्यक्ति नहीं माना जाएगा और उनके लिए स्क्राइब की सेवाएँ प्राप्त करने के प्रावधान लागू नहीं होंगे

11.6 चयनित दिव्यांग उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा रेलवे चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के समय की जाएगी तथा केवल वही उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, जो भारतीय रेलवे चिकित्सा मैनुअल तथा अन्य लागू प्रावधानों, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत चिकित्सा मानकों पर खरे उतरेंगे।

11.7 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रिक्तियाँ आरक्षित होने की स्थिति में जब अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति - गैर क्रीमी लेयर की प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम अंकों की योग्यता के प्रतिशत से युक्त पैनल का निर्माण करना संभव नहीं होगा तब ऐसी स्थिति में समुदाय के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंकों में **2 प्रतिशत अंकों की छूट** दी जाएगी।

आरक्षण / छूट का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए विशेष टिप्पणी :

ऐसे सभी उम्मीदवार, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति - गैर क्रीमी लेयर/ ईडब्ल्यूएस/ दिव्यांग/ भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आरक्षण/ छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते है, उन्हें सीईएन में निर्दिष्ट पात्रता के अनुसार आरक्षण/ छूट प्राप्त करने की अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। उन्हें अपने दावे के समर्थन में केंद्रीकृत रोज़गार सूचना/ नियम में निर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेज़ अपने साथ लाना चाहिए।

12.0 सेवारत कर्मचारियों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) :

रेलवे अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित केंद्र / राज्य सरकार के किसी भी विभाग में सेवारत उम्मीदवार (प्रवेश प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे / परिवीक्षाधीन सहित) अपने नियोक्ता को विधिवत सूचित करते हुए रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। **शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय अपने नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा** तथा ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

नोट : *उम्मीदवारों को यह ध्यान देना चाहिए कि रेलवे भर्ती बोर्ड में उनके नियोक्ता से उम्मीदवार को आवेदन करने / परीक्षा में भाग लेने के लिए दी गई अनुमति को रोकने की सूचना प्राप्त होने पर उनके आवेदन / उम्मीदवारी को रद्द / अस्वीकार किया जा सकता है।*

13.0 **भर्ती प्रक्रिया :**

13.1 उम्मीदवारों को **केवल एक ऑनलाइन आवेदन** प्रस्तुत करना है।

13.2 सभी अधिसूचित श्रेणियों के लिए सीबीटी (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) के पश्चात् दस्तावेज़ सत्यापन होगा। हालाँकि यदि रेलवे भर्ती बोर्ड को उपयुक्त लगता है, तो सभी के लिए या सीमित उम्मीदवारों के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड के पास अतिरिक्त सीबीटी आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित है।

13.3 सीबीटी / ऑनलाइन परीक्षा की तिथि, समय और स्थान रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा और उचित समय में योग्य उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा स्थगित करने और केंद्र / स्थान परिवर्तन करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

13.4 **एकल चरण सीबीटी के लिए प्रश्न पत्र 100 प्रश्नों के लिए 90 मिनट की अवधि का होगा** और स्क्रैब सुविधा का लाभ उठा रहे पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए 120 मिनट का होगा।

13.5 प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। उनमें चार विकल्पों मे से एक ही सही उत्तर होगा।

13.6 एकल चरण सीबीटी (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) के लिए प्रश्नों का मानक सामान्यतः पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक मानकों के अनुरूप होगा। प्रश्न बहुविकल्पीय के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और इसमें सामान्य जागरूकता, अंकगणित, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क से संबंधित विषय और सामान्य विज्ञान भी शामिल किए जाने की संभावना है। (पाठ्यक्रम अनुलग्नक-सी में)

13.7 अनुभागवार अंक : प्रश्न और अंकों की अनुभागवार संख्या नीचे दी गई है :-

विषय	प्रश्नों की संख्या	आवंटित किए गए अंक
व्यावसायिक योग्यता	70	70
सामान्य जागरूकता	10	10
सामान्य अंकगणित, सामान्य बुद्धि और तर्क	10	10
सामान्य विज्ञान	10	10
कुल	**100**	**100**

13.8 सीबीटी (कंप्यूटर आधारित परीक्षा / परीक्षण) में नकारात्मक अंकन होगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंकों का 1/3 अंक, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए काटे जाएँगे।

13.9 **दस्तावेज़ सत्यापन और पैनलीकरण के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट** सीबीटी में उनके प्रदर्शन पर आधारित मेरिट के अनुसार किया जाएगा, जो उनके समुदायों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंक हासिल करने के अधीन होगा। न्यूनतम अर्हक अंक अनारक्षित/ ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के लिए - 30% तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 25% निर्धारित है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए दिव्यांग व्यक्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में दिव्यांग उम्मीदवारों को पात्रता के लिए 2% की छूट प्रदान की जाएगी।

13.10 सीबीटी परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर रिक्त पदों की संख्या के बराबर उम्मीदवारों को मुख्य सूची में दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, 50% अतिरिक्त उम्मीदवारों को भी स्टैंडबाय के रूप में रखा जाता है। हालाँकि स्टैंडबाय उम्मीदवारों को सूचीकरण के लिए केवल तभी माना जाएगा, जब मुख्य सूची से पैनलीकृत करने में कोई कमी होती है।

13.11 दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और सत्यापन की तिथि पर अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

13.12 मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का पैनलीकरण किया जाएगा, अर्थात सीबीटी में प्राप्त अंक और सफलतापूर्वक दस्तावेज़ सत्यापन की पूर्ति और निर्धारिक चिकित्सा परीक्षा पास करने पर निर्भर है।

13.13 चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रेलवे प्रशासन/ रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही अपेक्षित मेडिकल फिटनेस परीक्षा उत्तीर्ण करने, शैक्षणिक और समुदाय संबंधी प्रमाणपत्रों के अंतिम सत्यापन और उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त/ चरित्र के सत्यापन के अधीन है।

13.14 रेलवे भर्ती बोर्ड केवल जोनल रेलवे / उत्पादन इकाई के लिए सफल एवं पैनलीकृत उम्मीदवारों के नामों की अनुशंसा करता है। तत्पश्चात् नियुक्ति की प्रक्रिया संबंधित रेलवे / उत्पादन इकाई के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा की जाएगी।

13.15 नोट- ।: - उम्मीदवारों को कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इसलिए उन्हें परीक्षा परिसर में यह सामान नहीं लाना चाहिए। यदि किसी भी उम्मीदवार के पास मोबाइल फोन, ब्लूटूथ या वायरलेस संचार का कोई अन्य साधन कार्यरत या बंद अवस्था में पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसे रेलवे भर्ती बोर्ड की भावी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा, इसके अलावा आवश्यक होने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

13.16 उम्मीद्वारों को शहर और तिथि संबंधी सूचनाएँ, ई-बुलावा पत्र एवं यात्रा प्राधिकार (जहाँ भी लागू हो) रेलवे भर्ती बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक से डाऊनलोड़ करना है। उम्मीदवारों को ई-बुलावा पत्र पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उनका सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए। निर्देशों का पालन करने में विफलता के कारण उनकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है।

13.17 उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया से परिचित करने के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइटों पर मॉक/ अभ्यास परीक्षा उपलब्ध कराई गई है।

14.0 **अंकों का सामन्यकीकरण :** दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के लिए उम्मीदवारों का चयन उनके द्वारा सीबीटी में प्राप्त अंकों पर आधारित होगा। तथापि कभी-कभी परीक्षाएँ बहु सत्रों में आयोजित की जा सकती हैं। यदि सीबीटी बहु सत्रों में आयोजित की गई, तो अंकों को सामान्यीकृत किया जाएगा। ऐसी स्थिति में दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उम्मीदवारों का चयन सामान्यकीकृत अंकों के आधार पर होगा। सीबीटी में प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए शॉर्ट लिस्ट करने के लिए अपनाई गई सामान्यीकरण की योजना का विवरण निम्नानुसार है :

14.1 **बहु-सत्र परीक्षाओं के लिए सामान्यीकृत अंकों की गणना** :

कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए बहु सत्रों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सीबीटी में प्रदर्शन के आधार पर दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उम्मीदवारों को सूचीबद्ध करने के लिए अपनाई जाने वाली सामान्यीकरण योजना नीचे दी गई है :

।th सत्र में jth उम्मीदवार का सामान्यीकृत अंक $\hat{M}_{ij}$ द्वारा दिया जाता है :

$$\hat{M}_{ij} = \frac{\overline{M}_t^g - M_q^g}{\overline{M}_{ti} - M_{iq}} (M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

M_{ij} : ।th सत्र में j th उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वास्तविक अंक।

$\overline{M}_t^g$: सभी सत्रों को ध्यान में रखते हुए टॉप 0.1% उम्मीदवारों के औसत अंक हैं।

M_q^g : सभी सत्रों को ध्यान में रखते हुए पेपर में उम्मीदवारों के माध्य और मानक विचलन अंकों का जोड़ है।

$\overline{M}_{ti}$: ।th सत्र में टॉप 0.1% उम्मीदवारों के औसत अंक या यदि सत्र की संख्या 1000से कम हो, तो टॉपरों के अंक हैं।

M_{iq} : ।th सत्र के माध्य अंक और मानक विचलन का जोड़ है।

14.2 सीबीटी और विकल्पों में उनकी योग्यता के आधार पर रिक्त पदों की संख्या के बराबर उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा, अतिरिक्त उम्मीदवारों को भी अधिसूचित रिक्तियों के 50% तक अतिरिक्त सूची बनाए रखने के लिए रिक्तियों की संख्या से अधिक और ऊपर बुलाया जाएगा। तथापि इन अतिरिक्त उम्मीदवारों को तभी पैनल में रखने के लिए माना जाएगा, जब योग्यता सूची में/ या कार्यकारी पद पर अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण कमी के विरूद्ध प्रतिस्थापन हो और/ या इंडेंटिंग रेलवे की कोई अन्य विशेष आवश्यकता हो। दो या दो से अधिक उम्मीदवारों को एक ही अंक हासिल करने के मामले में, उनकी योग्यता की स्थिति आयु मानदंड से निर्धारित की जाएगी अर्थात, वृद्ध व्यक्ति को उच्च योग्यता पर रखा जाएगा और यदि आयु समान है, तो नाम का वर्णानुक्रम क्रम(a से z) के आधार पर होगा, जिसे बराबरी की स्थिति को दूर करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

15.0 **आवेदन कैसे करें :**

क) उम्मीदवार अपनी पात्रता के अनुसार किसी भी रेलवे भर्ती बोर्ड के अधिसूचित पदों के लिए पैरा 20.0 पर सूचीबद्ध रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर केवल ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

ख) रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर सीईएन-02/2019 के लिंक पर क्लिक करके आवेदन भरने से पहले सीईएन में दी गईं **सभी सूचनाएँ और निर्देश पूरी तरह से पढ़ें।** यह आवश्यक है कि उम्मीदवार आवेदन भरते समय किसी भी गलती से बचने के लिए अधिसूचना की सारी सूचना को अच्छी तरह से समझ लें।

ग) **आवेदन भरने से पहले जेपीईजी फार्मेट में स्कैन किए हुए दस्तावेज़ तैयार रखें**
उम्मीदवार को शीघ्रता से आवेदन भरने के लिए आवेदन वाले पेज पर लॉग इन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज़ डिजिटल फार्म में तैयार रखना चाहिए :-

i. उम्मीदवार का रंगीन फ़ोटो : 20 केबी से 50 केबी आकार का जेपीईजी इमेज।

ii. उम्मीदवार का हस्ताक्षर : 10 केबी से 40 केबी आकार का जेपीईजी इमेज।

iii. अनुसूचित जाति/ अनुसीचित जनजाति प्रमाणपत्र (केवल निःशुल्क यात्रा पास माँगने वाले उम्मीदवारों के लिए) : 50 केबी से 100 केबी आकार का जेपीईजी इमेज। कृपया अजा/अजजा प्रमाणपत्र अपलोड करने के विनिर्देश के संबध में पैरा 15.1 (P) देखें।

iv. स्क्राइब फ़ोटो (जहाँ लागू हो) : 20 केबी से 50 केबी आकार का जेपीईजी इमेज। (कृपया फ़ोटो के विनिर्देश के संबध में पैरा 15.1 (0) (3) देखें।

घ) **उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता और आरक्षित श्रेणी के लिए आरआरबी-वार रिक्तियों की जाँच करें :** उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी शैक्षणिक योग्यता(डिग्री/ डिप्लोमा) के लिए सभी आरआरबी में अधिसूचित रिक्तियों का पता लगाने के लिए सीईएन (अनुलग्नक-बी) में अधिसूचित पदवार/ रिक्तिवार/ आरआरबी वार पद रिक्ति की जाँच करें और यह सुनिश्चित कर लें कि वे जिस आरआरबी में ऑनलाइन आवेदन भरना चाहते हैं वो उनके विषय और समुदाय/श्रेणी के लिए ही रिक्ति है तथा यह उनकी आयु और चिकित्सा मानकों की पात्रता के अनुरूप है।

ङ) पदवार/ रिक्तिवार/ आरआरबी-वार पद की रिक्ति का विश्लेषण करने के बाद, अपनी शैक्षणिक योग्यता और समुदाय/ पीडब्ल्यूबीडी/ भूतपूर्व सैनिक संवर्ग को सुनिश्चित करते हुए, उम्मीदवार आवेदन करने वाले रेलवे भर्ती बोर्ड के संबंध में निर्णय लें। **एक बार आरआरबी का चयन करने के बाद, प्रारंभिक रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेने और रजिस्ट्रेशन नंबर आबंटित हो जाने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में आरआरबी में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

च) अपनी पात्रता के अनुसार पद पैरामीटर और आरआरबी**वार रिक्तियों के सक्रियता से अभिनिर्धारण के लिए पद पैरामीटर और रिक्ति तालिका के लिए दिए गए टैब्स पर क्लिक करें** और निम्नानुसार आगे कार्रवाई करें:

i) **पद मानदंड :-** पद मानदंड तालिका से उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता, संवर्ग जैसे पीडब्ल्यूबीडी और चिकित्सकीय मानक आदि के अनुसार पद (पदों) का पता लगा सकते हैं, जिसके लिए वह पात्र है।

II) **रिक्ति तालिका :-** उम्मीदवार अपनी पात्रता के लिए आरआरबी के लिए अधिसूचित सभी पदों की रिक्तियों के व्यापक ब्योरों का पता लगाने के लिए सर्च मेनू से आरआरबी की ड्रॉप डाउन सूची से आरआरबी का चयन कर सकते हैं और पात्रता मानदंड का चयन करने पर उस आरआरबी से संबद्ध विविध रेलवे/ यूनिटों के लिए सभी अधिसूचित पदों की रिक्तियों को देख सकते हैं।

III) रिक्ति तालिका की जाँच करने के बाद यह सुनिश्चित करते हुए कि रिक्ति उनकी शैक्षणिक योग्यता और समुदाय/ पीडब्ल्यूबीडी/ भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के लिए है, उम्मीदवार उस आरआरबी का निर्णय कर सकते हैं, जिसके लिए वे आवेदन करना चाहते हैं। **एक बार आरआरबी का चयन कर लेने के बाद प्रारंभिक रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है और रजिस्ट्रेशन नंबर आबंटित कर दिया जाता है, उसके बाद किसी भी परिस्थिति में आरआरबी के परिवर्तन के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।**

छ) उम्मीदवारों से अपेक्षित है कि वे ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए दिए गए लिंक पर जाएँ और ध्यानपूर्वक वैयक्तिक ब्योरें/बायो-डाटा, भुगतान किया गया शुल्क आदि भरें। उनसे यह भी अपेक्षित है कि वे पद(पदों), रेलवे(s)/ उत्पादन इकाई (इकाइयों) के लिए अपने विकल्प/ पसंद को भी इंगित करें।

ज) उम्मीदवार कृपया नोट करें :

I. **इस सीईएन में बहु पदों और अन्य अपेक्षाओं को अधिसूचित किया गया है। उम्मीदवारों से अपेक्षित है कि वे बहुत ही सावधानीपूर्वक अपनी रेलवे/उत्पादन इकाई वार प्राथमिकताओं को दर्शाएँ। ऑनलाइन आवेदन में एक बार चुने गए विकल्पों को अंतिम माना जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रेलवे/ उत्पादन इकाई के लिए विकल्प के चयन में सावधानी बरतें। आरआरबी चयनित उम्मीदवारों को**

उनकी पसंद के अनुसार मेरिट और पद रिक्ति के आधार पर रेलवे/ उत्पादन इकाई का आबंटन करेगा। तथापि प्रशासनिक अनिवार्यता/आवश्यकताओं के कारण आरआरबी के पास यह अधिकार होगा कि वह उम्मीदवार(रों) की उपयुक्तता के अधीन उन्हें कोई भी रेलवे/ उत्पादन इकाई आबंटित कर सकता है।

II. आंशिक विकल्प वाले उम्मीदवारों पर उनके द्वारा चयनित विशिष्ट संवर्ग के लिए ही विचार किया जाएगा क्योंकि कुछ संवर्गों या सभी संवर्गों के लिए उनके द्वारा विकल्प का चयन नहीं किया जाना इसके लिए उनकी अनिच्छा को दर्शाता है।

III. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती की पूरी प्रक्रिया के दौरान अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और व्यक्तिगत वैध ई-मेल आईडी सक्रिय रखें क्योंकि आरआरबी से सभी प्रकार का संप्रेषण एसएमएस/ ई-मेल के माध्यम से ही भेजा जाएगा। आरआरबी किसी भी चरण पर मोबाइल नंबर और ई-मेल पते के परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए/संबंधित आरआरबी के साथ पत्राचार के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर संभाल कर रखें।

उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के विविध चरणों पर अद्यतन जानकारी या इस सीईएन के बारे में किसी प्रकार के परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लगातार आरआरबी की वेबसाइट(टों) को देखते रहें।

वैध दस्तावेज़ों के साथ यह प्रमाणित करने की ज़िम्मेदारी उम्मीदवारों की रहेगी कि उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई समस्त जानकारी सत्य है।

15.1 ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए विविध चरण:

पैरा 15.0 में क, ख, ग और घ की प्रक्रिया पूरी करने के बाद निम्नलिखित चरण पूर्ण करने होंगे :

क) **आरआरबी का चयन :**
उस आरआरबी का चयन करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं । कृपया सावधान रहें कि प्राथमिक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करने और रजिस्ट्रेशन नंबर आबंटित हो जाने के बाद एक बार चयनित आरआरबी में परिवर्तन नहीं होगा।

ख) **चेक बॉक्स पर क्लिक करके पुष्टि करें कि आपने अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और समझ लिया है।** "नए रजिस्ट्रेशन" पर क्लिक करें।

ग) **रजिस्ट्रेशन ब्योरे:** सामान्य अनुदेशों के पैरा 1.7 के अनुसार अपना नाम, जन्म दिनांक और पिता का नाम, माता का नाम, आधार संख्या,SSLC/मैट्रिक/डिग्री/डिप्लोमा/टेक्निकल/पेशेवर योग्यता,रोल नंबर, उत्तीर्ण होने का वर्ष, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी प्रविष्ट करें और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट करें। **रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट करने के पूर्व यह सुनिश्चित करें और पुष्टि करें कि ऊपर दी गई सम्पूर्ण जानकारी सही है चूंकि रजिस्ट्रेशन के लिए दिये गए ब्योरे बाद में बदले नहीं जाएँगे। कृपया नोट करें कि रजिस्ट्रेशन के लिए प्रयुक्त ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों को वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान सत्यापित किया जाएगा।**

घ) **ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर का ओटीपी के माध्यम से सत्यापन : प्राथमिक ब्योरों के प्रस्तुतीकरण पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड उम्मीदवार को प्रदर्शित किए जाएँगे। साथ ही रजिस्ट्रेशन ब्योरों के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ई-मेल पर ओटीपी भेजे जाएँगे। उम्मीदवार को जो ओटीपी मोबाइल और ई-मेल पर प्राप्त होंगे वे आवेदन भरने और भुगतान करने के लिए काम में लाए जाएँगे।**

ङ) उम्मीदवार होम पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का प्रयोग करके "ऑलरेडी रजिस्टर्ड" बटन पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन पर आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। जन्म की तारीख दिन/ माह/ वर्ष फार्मेट

च) भाग 1 आवेदन पेज में शैक्षणिक योग्यता, समुदाय, लिंग, धर्म, भूतपूर्व सैनिक, बेंचमार्क दिव्यांग, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और यथा लागू आयु में छूट पात्रता संवर्ग और अन्य ब्योरे दें।

छ) **भुगतान और बैंक खाता ब्योरे :**

i. ऊपर दर्शाए अनुसार आवेदन ब्योरों को पूरा करने के बाद पैरा 7.1 में यथावर्णित उम्मीदवार को भुगतान के माध्यम अर्थात बैंक (ऑनलाइन नेट बैंकिंग/ क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड/ यूपीआई और ऑफलाइन चालान) या डाक घर चालान का चयन करने के लिए भुगतान पेज पर जाने के लिए कहा जाएगा, जहाँ उसे भुगतान प्रक्रिया पूरी करनी होगी। भुगतान के माध्यम का चयन करें और भुगतान प्रक्रिया पूरी करें। **कृपया भुगतान के प्रत्येक माध्यम के लिए विनिर्दिष्ट समय और अंतिम तारीख को नोट करें और आवेदन निर्धारित समय पर प्रस्तुत करें।**

ii. **जो, बैंक-ऑफलाइन माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, उनके लिए भुगतान की पुष्टि में 2 घंटे का समय लगता है, अतः उन्हें 2 घंटे बाद पुनः लॉग-इन करना होगा और भुगतान स्टेटस की पुष्टि प्राप्त करनी होगी।**

iii. **डाक घर भुगतान के मामले में भुगतान पुष्टि के लिए समयावधि 24 घंटे से 48 घंटे हो सकती है।**

ज) पीडब्ल्यूबीडी **उम्मीदवारों के लिए लिपिक (स्क्राइब) :** यदि आप पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार हैं और स्क्राइब के लिए पात्र हैं, तो स्क्राइब के लिए अपना विकल्प दर्शाएँ। केवल वे ही उम्मीदवार स्क्राइब के लिए पात्र हैं, जो दृष्टिबाधित(VI) हैं/ ऐसे उम्मीदवार जिनकी लेखन गति लोको मोटर विकलांगता(एक भुजा) से प्रभावित हो।

झ) **विस्तृत शैक्षणिक योग्यता :** ऑनलाइन आवेदन में यथा अपेक्षित आपकी शैक्षणिक/ व्यावसायिक/ तकनीकी योग्यता के बारे में संबद्ध जानकारी प्रदान करें।

ञ) **परीक्षा भाषा का विकल्प :** अँग्रेज़ी डिफ़ाल्ट भाषा है। यदि उम्मीदवार कोई अन्य भाषा को चुनना चाहता है, तो वह भाषाओं की ड्रॉप डाउन सूची से इसे चुन सकता है। जो भाषाएँ सूचीबद्ध की गई हैं, वे हैं असमिया,बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगू और उर्दू। **यदि अँग्रेज़ी और अन्य चयनित भाषा के बीच प्रश्नों में कोई अंतर/ विसंगति/ विवाद हो, तो इस स्थिति में अँग्रेज़ी पाठ की विषय-वस्तु को प्राधिकार माना जाएगा।**

ट) शेष कालमों को पूरा करना अर्थात मातृभाषा, तिल/ पहचान चिह्न, पता इत्यादि।

ठ) **परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए बैंक खाता ब्योरे :** उम्मीदवार जो परीक्षा में बैठते हैं वे पैरा 7.0 में उल्लेख किए अनुसार परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए पात्र हैं। सभी उम्मीदवार, जिन्होंने जिस खाते से आवेदन शुल्क का भुगतान किया है उस खाते में राशि वापसी की पुष्टि की है, उन्हें ये ब्योरे देने की आवश्यकता नहीं है, अतः यह उन्हें कंप्यूटर पर दिखाई नहीं देगा। केवल वे उम्मीदवार जिन्होंने जिस खाते से शुल्क का भुगतान किया है उसी खाते में रिफ़ंड के लिए विकल्प नहीं दिया है, उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में उस लाभार्थी खाते के ब्योरे दिये जाने चाहिए, जिसमें वे रिफ़ंड प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात लाभार्थी खाते का नाम, खाता नंबर और आईएफएससी कोड।

ड) अन्य मंत्रालयों/ विभागों/ पीएसयू और निजी संगठनों में नौकरी पाने के लिए उम्मीदवार आरआरबी परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त किए गए स्कोर को साझा करने की सहमति दे सकते हैं।

ढ) **फ़ोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करना :**

1. उम्मीदवारों को आवेदन के स्वतः 'फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड' भाग की ओर ले जाया जाएगा।
2. अपलोड फ़ोटो टैब को सेलेक्ट करें और अपना रंगीन फ़ोटो अपलोड करें। फ़ोटोग्राफ में निम्नलिखित अपेक्षाएँ पूरी होनी चाहिए:

ण) फ़ोटोग्राफ के लिए विनिर्देश :

क) यह सफ़ेद/ हलके रंग की पृष्ठभूमि वाला रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए।

ख) इसकी साइज़ 35मिमी X 45मिमी अथवा 320 X 240 पिक्सेल होनी चाहिए।

ग) यह जेपीजी/ जेपीईजी फ़ारमैट में होना चाहिए जिसे 100 डीपीआई रेसोल्यूशन में स्कैन किया जाना चाहिए।

घ) फ़ोटोग्राफ की साइज़ 20-50 केबी के बीच होनी चाहिए।

ङ) **यह रंगीन फ़ोटोग्राफ किसी पेशेवर स्टुडियो में दिनांक 01.01.2019 को या उसके बाद लिया होना चाहिए। मोबाइल का प्रयोग करके लिया गया फ़ोटो और स्वयं-कम्पोज्ड फ़ोटो वाला आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।**

च) फ़ोटो में उम्मीदवार के चेहरे का सामने का भाग स्पष्ट दिखना चाहिए तथा चेहरा बिना टोपी और बिना गॉगल के होना चाहिए।

छ) फ़ोटोग्राफ के कम-से-कम 50% भाग में चेहरा होना चाहिए। चेहरा पूरा होना चाहिए और सीधे कैमरे के सामने होना चाहिए।

ज) चेहरा एकदम स्पष्ट होना चाहिए और इसका कोई भी भाग सिर के बालों, कपड़े या किसी परछाई से ढँका नहीं होना चाहिए।

झ) माथे का अग्रभाग, आँखें, नाक और ठुड्डी स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए।

ञ) यदि उम्मीदवार ऐनक पहनता हो तो फ़ोटोग्राफ में ऐनक के काँच पर किसी प्रकार की चमक/परछाई नहीं होनी चाहिए और आँखें साफ साफ दिखाई देनी चाहिए।

ट) सीबीटी और डीवी के दिनों के दौरान उम्मीदवार एवं फ़ोटो मेल खाना चाहिए।

ठ) पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार भी उपर्युक्त विनिर्देश के अनुसार ही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड करें, न कि विकलांगता प्रमाणपत्र में प्रयुक्त संपूर्ण शरीर का फ़ोटो।

ड) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस फ़ोटोग्राफ की कम से कम 12 (बारह) प्रतियाँ रखें, क्योंकि इन्हें आगे भी नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान आवश्यकता पड़ने पर काम में लाया जा सकेगा।

I) **अपलोड हस्ताक्षर टैब का चयन और स्कैन किए हुये हस्ताक्षर अपलोड करना। हस्ताक्षर इमेज में निम्न विनिर्देशों का अनुपालन होना चाहिए।**

II) **हस्ताक्षर इमेज के लिए विनिर्देश :**

क) आवेदक को 50मिमी x 20 मिमी साइज़ के बॉक्स के भीतर काली स्याही के पेन से सफ़ेद कागज पर हस्ताक्षर करने होंगे।

ख) हस्ताक्षर रनिंग अक्षरों में होने चाहिए न कि ब्लॉक अक्षरों में।

ग) इमेज 100 डीपीआई रिसोल्यूशन वाले स्कैन किए गए जेपीजी/ जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए।

घ) इसका आयाम (अधिमानत:) 50 मिमी x 20 मिमी या 140 x 60 पिक्सेल होना चाहिए।

ङ) फ़ाइल की साइज़ 10 केबी - 40 केबी के बीच होनी चाहिए।

च) टिप्पणियाँ :-

1. हस्ताक्षर केवल आवेदक के द्वारा ही किए जाने चाहिए न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा।
2. रजिस्ट्रेशन के दौरान प्राप्त किए गए हस्ताक्षर और सीबीटी/ डीवी/ मेडिकल के समय किए गए हस्ताक्षर अपलोड किए गए हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए।
3. यदि हस्ताक्षर बेमेल पाये गए तो उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उम्मीदवार पर जीवनपर्यंत के लिए रेलवे भर्ती (आरआरबी/ आरआरसी) की परीक्षाओं में बैठने पर रोक लगा दी जाएगी।

III) **फ़ोटोग्राफ और हस्ताक्षर को स्कैन करना और रिसाइज़ करना :**

क) स्कैनर रिसोल्यूशन को न्यूनतम 100 डीपीआई (डॉट्स प्रति इंच) पर सेट करें।

ख) कलर को ट्रू कलर पर सेट करें। फ़ाइल साइज़ उपर्युक्त विनिर्देशों के अनुसार होनी चाहिए।

ग) स्कैनर में इमेज फ़ोटोग्राफ/हस्ताक्षर की धार पर क्रॉप करें और फिर फ़ाइनल साइज़ (उपर्युक्त विनिर्देशन के अनुसार) में इमेज को क्रॉप करने के लिए अपलोड एडिटर का प्रयोग करें।

घ) इमेज फ़ाइल जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। उदाहरण के लिए फ़ाइल नाम: Image01.जेपीजी अथवा Image01.जेपीईजी

ङ) इमेज डायमेन्शन की जाँच फोंल्डर फाइलों की लिस्टिंग करके या फ़ाइल इमेज आइकॉन पर माऊस घूमा कर की जा सकती है। उम्मीदवार एमएस पेंट अथवा एमएस ऑफिस पिक्चर मैनेजर का प्रयोग करके क्रमश: 50 केबी और 40 केबी से अधिक जेपीईजी फॉर्मेट में फ़ोटो और हस्ताक्षर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

च) किसी भी फॉर्मेट में स्कैन किए गए फ़ोटोग्राफ और हस्ताक्षर फ़ाइल मेनू में 'सेव एस' ऑप्शन का प्रयोग करके जेपीजी फॉर्मेट में सेव किए जा सकते हैं और क्रॉप और उसके बाद 'इमेज' मेनू में री-साइज़ ऑप्शन का प्रयोग करके साइज़ 50 केबी (फ़ोटोग्राफ) और 40 केबी (हस्ताक्षर) से कम तक घटाई जा सकती है। अन्य फ़ोटो एडिटरों में भी इसके समान ही ऑप्शन उपलब्ध हैं।

त) **अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र अपलोड करना :**

अनुसूचित जाति/ जन जाति समुदाय के उम्मीदवार, जिन्होंने मुफ़्त रेल यात्रा का विकल्प लिया है, उन्हें मुफ़्त यात्रा प्राधिकार (द्वितीय श्रेणी रेलवे पास) की सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्रों की स्कैन की गई प्रतियाँ (जेपीजी/ जेपीईजी फार्मेट, 50 केबी – 100 केबी) भी अपलोड करना होगा।

सावधानी : यदि फ़ोटोग्राफ, हस्ताक्षरऔर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदाय प्रमाणपत्र के लिए फ़ाइल साइज़ और फॉर्मेट निर्धारित किए अनुसार नहीं हैं, तो एक एरर मैसेज प्रदर्शित होगा।

थ) **आवेदन का प्रस्तुतिकरण :**

अंत में उम्मीदवारों द्वारा घोषणा पत्र देना होगा **"मैं एतदद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदित पद (पदों) के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और मैं उसमें वर्णित सभी आवश्यकताएँ पूरी करता/ करती हूँ, तथा आवेदन में मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्योरे मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सभी प्रकार से पूर्ण हैं और मेरे द्वारा कुछ भी छुपाया या गुप्त नहीं रखा गया है। मैं यह भी जानता/ जानती हूँ कि यदि भर्ती के किसी भी चरण के दौरान या उसके बाद मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है, तो आरआरबी मुझे उस पद (पदों) के लिए अयोग्य कर देगा, जिसके लिए मैंने आवेदन किया है और/ या मैं वर्तमान नियमों के अंतर्गत किसी भी अन्य कार्रवाई के लिए जिम्मेदार रहूँगा/ रहूँगी"।**

उपर्युक्त घोषणा और आवेदन के प्रस्तुतीकरण के बाद उम्मीदवार फ़ाइल को “पीडीएफ” सेव कर सकेगा और/ या आवेदन का प्रिंट ले कर संदर्भ रिकॉर्ड के लिए रख सकेंगे।

15.2 आवेदन में संशोधन :

क) ऑनलाइन आवेदन के फ़ाइनल प्रस्तुतीकरण के बाद यदि उम्मीदवार आवेदन में किसी असावधानीवश हुई भूल को सुधारने के लिए कोई छोटा परिवर्तन करना चाहता हैं, तो **आरआरबी, ई-मेल और मोबाइल नंबर के अलावा, डाटा में सुधार रु.100/- (गैर-वापसी योग्य) के शुल्क का भुगतान करके कर सकता है।** संशोधन शुल्क सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा। इसमें रियायती संवर्ग भी शामिल हैं और यह शुल्क किसी भी संवर्ग के लिए वापसी योग्य नहीं होगी।

ख) यदि कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदाय से अनारक्षित (यूआर) या अन्य पिछड़े वर्ग में संशोधन करना चाहता है, तो उसे संशोधन शुल्क के अलावा परीक्षा शुल्क में अंतर रु. 250/- का भुगतान करना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो उसका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ग) इसी के समान यदि कोई उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिक/ पीडब्ल्यूबीडी/ महिला / ट्रांसजेंडर से यूआर/ ओबीसी अ-भूतपूर्व सैनिक/ अ-पीडब्ल्यूबीडी/ पुरुष आदि में परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे संशोधन शुल्क के अलावा परीक्षा शुल्क का अंतर रु. 250/- का भुगतान करना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो उसका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

घ) **रजिस्ट्रेशन और आवेदन ब्योरों को केवल दो बार ही संशोधित किया जा सकता है।**

ङ) **चेतावनी:** जो उम्मीदवार अपने आवेदन में संशोधन करना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सीईएन की अंतिम तारीख और समय के पूर्व करें। यदि आख़री समय में संकुलन के कारण किसी भी चरण पर संशोधन नहीं हो पाता है या संशोधन सेव नहीं हो पाता है या किया गया संशोधन समय पर सबमिट नहीं हो पाता है, तो आवेदन में पूर्व में दी गई जानकारी को मान्य रखा जाएगा और इस संबंध में किसी भी प्रकार के पत्राचार को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

च) आरआरबी, ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

छ) आवेदन में चरणबद्ध आशोधन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :

I. रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का प्रयोग करके लॉग इन करना

II. वास्तविक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए उपलब्ध किसी भी माध्यम से संशोधन शुल्क का भुगतान करना। सुनिश्चित करें कि भुगतान निर्धारित दिनांक और समय के पूर्व कर दिया जाता है।

III. ‘मोडिफाइ एप्लीकेशन’ बटन पर क्लिक करें।

iv. दिए गए अनुदेशों के अनुसार जो परिवर्तन करना चाहते हैं वे करें और आवेदन सबमिट करें। अद्यतन आवेदन का प्रिंट आउट रिकॉर्ड के लिए संभालकर रखें।

15.3 **अवैध आवेदन/ अस्वीकृति :**

ऑनलाइन आवेदन अन्य कारणों में से निम्न आधार पर अस्वीकृत किया जा सकता हैन:

क) **अवैध फ़ोटो** जैसे ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो, टोपी और/ या गॉगल पहन कर खिंचवाया गया फ़ोटो, विरूपित फ़ोटो, छोटे आकार का फ़ोटो, सम्पूर्ण शरीर का फ़ोटो, वह फ़ोटो जिसमें चेहरे का एक भाग दिखाई देता हो, पहचाना न जाने वाला फ़ोटो, फ़ोटो की फ़ोटोस्टेट कॉपी, ग्रुप फ़ोटो, सेलफ़ी फ़ोटो, मोबाइल से लिया गया फ़ोटो, आकृति वाला फ़ोटो और कोरा फ़ोटो आदि।

ख) **कैपिटल/ ब्लॉक** अक्षरों में हस्ताक्षर

ग) विभिन्न आरआरबी के लिए **बहुसंख्यक आवेदन** और/ या एक आरआरबी के लिए बहुसंख्यक आवेदन। ऐसे मामले में सभी आवेदन अस्वीकृत किए जाएँगे और ऐसे उम्मीदवारों को भविष्य में आरआरबी/ आरआरसी परीक्षाओं के लिए प्रतिबंधित भी किया जाएगा।

घ) किसी भी आरआरबी/ आरआरसी की प्रतिबंधित सूची में दर्शित उम्मीदवार का नाम।

ङ) कोई अन्य अनियमितता, जो आरआरबी द्वारा पायी गई हो और अवैध माना गया हो।

नोट : उम्मीदवार अपने आवेदन की जाँच आरआरबी की वेबसाइट से कर सकता है। यदि आवेदन अस्वीकृत होता है, तो उम्मीदवार इसके अस्वीकार होने के कारण के साथ आवेदन का स्टेटस देख सकता है, जो कि अंतिम और बाध्यकर होगा और इस विषय पर किसी प्रकार का कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन के अस्वीकार होने के कारण परीक्षा शुल्क को वापस नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को एसएमएस और ई-मेल अलर्ट भी उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिये गए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर भेजे जाएँगे। उम्मीदवारों को डाक द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी जाएगी।

16.0 सीबीटी, दस्तावेज़ सत्यापन के लिए हाल टिकिट (ई-कॉल लेटर) :

16.1 ई-कॉल लेटर के बारे में सभी पात्र उम्मीदवारों को एसएमएस और ई-मेल संदेश भेजे जाएँगे और उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर इनके ब्योरे अपलोड किए जाएँगे। तथापि,आरआरबी के नियंत्रण के परे कारणों से उम्मीदवारों को एसएमएस/ई-मेल की डिलीवरी नहीं हो पाती तो उम्मीदवारों को नियमितरूप से आरआरबी की वेबसाइट विजिट करते रहना चाहिए।

16.2 पात्र उम्मीदवार आरआरबी की वेबसाइट से सीबीटी/डॉक्यूमेंट सत्यापन(यथा लागू) की तारीख के लगभग 10 दिनों के पहले ई-कॉल लेटर परिशिष्ट V(डी)(स्क्राइब के लिए घोषणा, जहाँ लागू हो) के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को डाक द्वारा कॉल लेटर नहीं भेजे जाएँगे।

16.3 उम्मीदवार ई-कॉल लेटर में दिये गए अनुदेशों को ध्यान से पढ़ें और इनका सख्ती से अनुपालन करें। यदि अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता तो उनकी उम्मीदवारी रद्द भी हो सकती है।

16.4 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के मामले में जिन्होंने मुफ़्त रेल यात्रा सुविधा का विकल्प लिया है और मुफ़्त यात्रा प्राधिकार(स्लीपर क्लास रेलवे पास) का लाभ उठाने के लिए उनका वैध जाति प्रमाणपत्र अपलोड किया है,सीबीटी/ डीवी (जो भी लागू हो) के लिए कॉल लेटर में मुफ़्त यात्रा प्राधिकार होगा और ऐसे उम्मीदवार ई-कॉल लेटर और अनुसूचितजाति/अनुसूचितजनजाति प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित फ़ोटो कॉपी के प्रस्तुतीकरण पर टिकिट बुक कर सकते हैं। यात्रा के दौरान ये उम्मीदवार मूल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र और यात्रा करने के लिए एक मूल निर्धारित पहचान प्रमाण साथ में रखें, ऐसा नहीं करने पर उन्हें बिना टिकिट माना जाएगा और तदनुसार उन्हें दंड भरना होगा।

16.5 उम्मीदवारों को वैध फ़ोटो आईडी (अर्थात मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, ई-आधार का प्रिंट आउट (आधार की फ़ोटो प्रति नहीं), ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, पासपोर्ट, यदि उम्मीदवार सरकारी कर्मचारी है, तो नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र, स्कूल/ कॉलेज/ यूनिवर्सिटी फ़ोटो आईडी कार्ड) मूल रूप में साथ में रखने होंगे, यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें सीबीटी/ डीवी (जो भी लागू हो) के लिए बैठने हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी। आईडी पर नाम, जन्म तारीख और फ़ोटो ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी से मेल खाने चाहिए, यदि ऐसा नहीं होता है तो उम्मीदवार को सीबीटी/ डीवी में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

16.6 उम्मीदवार सीबीटी/ डीवी (जो भी लागू हो) मैं बैठने के लिए अपने साथ एक रंगीन फ़ोटोग्राफ भी लाएँ(साइज़ 35 मिमी**x 45** मिमी) जो आवेदन के साथ अपलोड किया गया है।

16.7 उम्मीदवार परीक्षा के लिए आते समय डाउनलोडेड ई-कॉल लेटर में स्व-घोषणा पैराग्राफ लिखने के लिए दी गई जगहों (क्योंकि सीबीटी के दौरान स्क्रीन पर पैराग्राफ प्रदर्शित किया जाता है), हस्ताक्षर और बाएँ अंगूठे की छाप(एलटीआई) खाली छोड़ दें।

चेतावनी : उम्मीदवार स्व-घोषणा का पैराग्राफ केवल परीक्षा हाल पर पर्यवेक्षक की मौजूदगी में ही सीबीटी केंद्र पर लिखेंगे और हस्ताक्षर करेंगे तथा बाएँ अंगूठे की छाप लगाएँगे और इसे पर्यवेक्षक को परीक्षा पूरी होने के पूर्व सौपेंगे। स्व-घोषणा पैराग्राफ़ लिखने वाले और/ या कैपिटल अक्षरों में हस्ताक्षर करने वाले उम्मीदवारों को रद्द किया जाएगा।

16.8 आरआरबी(यों) परीक्षा केंद्र, दिनांक और उम्मीदवार(रों) को आबंटित सत्र में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगा।

17.0 मूल दस्तावेज़ों और प्रमाणपत्रों का सत्यापन:

17.1 डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों द्वारा डीवी के समय सभी दस्तावेज़ों की स्वयं-सत्यापित फ़ोटो कॉपियों के दो सेटों के साथ सभी मूल दस्तावेज़ देने होंगे। इसके अलावा ये उम्मीदवार डीवी की तारीख के पूर्व सभी लागू प्रमाणपत्रों की स्कैन की गई प्रतियाँ(मूल कलर में) www.rrbdv.in पोर्टल के माध्यम से अपलोड करनी होंगी।

17.2 सभी प्रमाणपत्र या तो अँग्रेज़ी या हिंदी में ही होने चाहिए। जहाँ प्रमाणपत्र अँग्रेज़ी या हिंदी में नहीं हैं वहाँ जब कभी/ जहाँ कहीं आवश्यक हों, स्वयं-सत्यापित अनूदित पाठ (हिंदी/ अँग्रेज़ी) प्रस्तुत करने होंगे। डीवी के दौरान प्रस्तुत प्रमाणपत्र अनिवार्यतया निर्धारित फॉर्मेट में ही होने चाहिए।

17.3 जो उम्मीदवार डीवी की तारीख को मूल प्रमाणपत्र नहीं प्रस्तुत करते, उन्हें कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द की जाएगी।

17.4 जो दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उम्मीदवारों द्वारा मूल रूप में लाने हों (यथा लागू) उनकी सूची नीचे दी जा रही है :

17.4.1 जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मैट्रीक्यूलेशन/ हाई स्कूल परीक्षा प्रमाणपत्र अथवा उसके समकक्ष प्रमाणपत्र। (आवेदन में उल्लिखित उम्मीदवार का नाम और पिता/ माता का नाम इस प्रमाणपत्र में उल्लिखित नामों के संदर्भ में सत्यापित किए जाएँगे।)

17.4.2 10+2/ इंटर/ हायर सेकंडरी/ पीयूसी (यथा लागू)

17.4.3 सेमिस्टर वार अंकतालिका (यथा लागू) डिप्लोमा/ डिग्री प्रमाणपत्र

17.4.4 अनुलग्नक–**I** के अनुसार फॉर्मेट में अनुसूचितजाति/अनुसूचितजनजाति प्रमाणपत्र

17.4.5 अनुलग्नक-II के अनुसार फॉर्मेट में ओबीसी-एनसीएल प्रमाणपत्र (दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि से एक वर्ष अधिक पुराना नहीं होना चाहिए)।

17.4.6 अनुलग्नक ।। A के अनुसार ओबीसी उम्मीदवारों द्वारा नॉन क्रिमी लेयर घोषणा

17.4.7 अनुलग्नक ।।। के अनुसार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा शुल्क में छूट देने के लिए आय प्रमाणपत्र

17.4.8 अनुलग्नक –IIIए के अनुसार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र

17.4.9 अनुलग्नक-IV के अनुसार गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा।

17.4.10 भूतपूर्व सैनिक के लिए मूल डिस्चार्ज प्रमाणपत्र

17.4.11 अनुलग्नक –V(ए), V(बी), V(सी) के अनुसार यथा लागू बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों(पीडब्ल्यूबीडी) के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र

17.4.12 अनुलग्नक –VII के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्व-घोषणा

17.4.13 सेवारत कर्मचारियों से नियुक्ति की तारीख के साथ एनओसी

17.4.14 सेवारत रक्षा कर्मचारियों के लिए संभावित डिस्चार्ज तरीख के साथ एनओसी

17.4.15 पैरा 1.7 में उल्लेख किए अनुसार नाम में औपचारिक परिवर्तन के मामले में गज़ट अधिसूचना और/या कोई विधिक दस्तावेज़

17.4.16 एसबीआई की शाखा में चालान के माध्यम से किए गए भुगतान की रसीद या कंप्यूटराइज्ड डाक घर पर पे-इन-स्लिप

17.4.17 ट्रान्सजेंडर उम्मीदवारों द्वारा स्व-प्रमाणन

17.4.18 जम्मू और कश्मीर अधिवास प्रमाणपत्र (मूल निवास)

17.4.19 पैरा 4(एफ) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाणपत्र

17.4.20 यथा लागू सक्षम न्यायालय से तलाक/ न्यायिक संबंध विच्छेद की डिक्री और हलफनामा जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि उम्मीदवार ने पुनः विवाह नहीं किया है।

17.4.21 विधवा के मामले में मृत्यु प्रमाणपत्र और हलफनामा जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि उम्मीदवार ने पुनः विवाह नहीं किया है।

17.4.22 इस सीईएन के लिए आवेदन करने के बाद जो भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार सिविल रोज़गार प्राप्त करते हैं, वे अपने नियोक्ता को जैसे ही वे कार्यग्रहण करते हैं, इस सीईएन के आवेदन के ब्योरों के बारे में स्व-घोषणा पत्र दें। सिविल नियोक्ता से एनओसी सहित इस घोषणा की अभिस्वीकृति प्रति डीवी के दौरान प्रस्तुत की जानी चाहिए।

टिप्पणी:-

1. जो उम्मीदवार आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध अपनी उम्मीदवारी करना चाहते हैं / या आयु में छूट प्राप्त करना चाहते हैं, वे डीवी के समय निर्धारित फॉर्मेट में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त मूल रूप में आवश्यक/ उचित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें। अन्यथा, ईडब्ल्यूएस/ अजा/ अजजा/ ओबीसी-एनसीएल/ भूतपूर्व सैनिक/ पीडब्ल्यूबीडी के लिए उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा और यदि वे पात्र हैं, तो उनकी उम्मीदवारी/ आवेदन सामान्य संवर्ग (यूआर) में मानी जाएगी। प्रमाणपत्र संलग्न फॉर्मेट के अनुसार होने चाहिए।
2. शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र अर्थात प्रोविजनल या नियमित डिग्री/डिप्लोमा में जारी करने की तारीख होनी चाहिए। यदि इन प्रमाणपत्रों की जारी तारीख सीईएन की अंतिम तारीख के बाद की हो तो अंतिम अर्हक परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तारीख वाली समेकित अंकतालिका अथवा सभी सेमिस्टरों की अलग अलग अंकतालिका जिनमें प्रत्येक सेमिस्टर के परिणाम की घोषणा की तारीख हो, प्रस्तुत की जाए। यदि इनमें से किसी भी प्रमाणपत्र में तारीख उपलब्ध नहीं हो तो संस्था/यूनिवर्सिटी से इस संबंध का प्रमाणपत्र (जिसमें परिणाम की घोषणा की तारीख हो) डीवी के समय प्रस्तुत किया जाए।

18.0 पररूप धारण करना/ तथ्यों को छुपाना –चेतावनी :

18.1 कोई भी उम्मीदवार परीक्षा में किसी भी प्रकार के अनुचित माध्यमों का उपयोग करता पाया जाता है, किसी अन्य व्यक्ति को अपने स्थान पर परीक्षा देने के लिए भेजता है उसे सभी आरआरबी / आरआरसीकी सभी परीक्षाओं में बैठने से आजीवन रोक लगा दी जाएगी। उसे रेलवे में किसी भी प्रकार की नियुक्ति पर प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और यदि उसकी नियुक्ति पहले से है तो सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

18.2 आरआरबी को किसी प्रकार की झूठी जानकारी देना या किसी भी चरण पर किसी भी जानकारी को ऐच्छिक रूप से छिपानेवाले उम्मीदवार को अयोग्य माना जाएगा और उसे रेलवे या किसी सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए परीक्षा या किसी चयन प्रक्रिया से प्रतिबंधित किया जाएगा और यदि नियुक्ति हो गई है तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

18.3 इस परीक्षा के लिए पात्रता सुनिश्चित करने के लिए और/या मुफ़्त यात्रा के लिए विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के जाली/नकली प्रमाणपत्र/दस्तावेज़ प्रस्तुत करते हुये यदि कोई उम्मीदवार पाया जाता है तो उसने जिस भर्ती के लिए आवेदन किया है उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। इसके अतिरिक्त उसे सभी आरआरबी/आरआरसी द्वारा देश भर में आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए या आजीवन जैसा भी उचित समझा जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और यदि आवश्यकता पड़े, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

18.4 उम्मीदवार भर्ती के संदर्भ अपने हित के लिए किसी प्रकार का राजनैतिक या अन्य प्रभाव नहीं डालेगा। करने पर ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को रद्द किया जाएगा।

19.0 विविध :

19.1 **आरआरबी को यह अधिकार है कि वे कोई भी कारण बताए बिना किसी भी चरण पर अतिरिक्त सीबीटी/ डीवी (यथा लागू) आयोजित कर सकते हैं।** आरआरबी को यह भी अधिकार है कि वे पूर्ण भर्ती प्रक्रिया या इसके किसे भाग को इस सीईएन में अधिसूचित किसी संवर्ग या सभी संवर्गों को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर बिना कोई कारण बताए रद्द कर सकते हैं।

19.2 पात्रता, ऑनलाइन आवेदनों का स्वीकरण या अस्वीकरण, मुफ़्त रेल पास जारी करना, झूठी जानकारी के लिए दंडात्मक कार्रवाई, रिक्तियों, चयन प्रक्रिया का तरीका, सीबीटी का संचालन, परीक्षा केंद्रों का आबंटन, चयन, चयनित उम्मीदवारों को पद आबंटित करना आदि सभी मामलों पर आरआरबी द्वारा लिए गए निर्णय सभी उम्मीदवारों के लिए अंतिम और बाध्यकर होगा और इस संबंध में आरआरबी के साथ किसी प्रकार के पत्राचार या पूछ-ताछ को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

19.3 आरआरबी किसी भी प्रकार की असावधानीवश हुई भूलों के लिए जवाबदेह नहीं होंगे और उनको यह अधिकार रहेगा कि वे इन भूलों में सुधार करें।

19.4 इस सीईएन से उत्पन्न किसी भी प्रकार के कानूनी मामले का न्यायिक क्षेत्र उस संबन्धित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अंतर्गत होगा जिसमें उम्मीदवार द्वारा चुनी गई आरआरबी स्थित हो।

19.5 इसमें दी गई किसी भी चीज़ की व्याख्या के बारे में किसी भी प्रकार के विवाद के समय आरआरबी वेबसाइट पर प्रकाशित सीईएन के अँग्रेज़ी पाठ को ही अंतिम माना जाएगा।

19.6 आरआरबी द्वारा चयन से तात्पर्य यह नहीं है कि उम्मीदवार रेलवे में नियुक्ति के लिए हकदार हैं। आरआरबी का कार्य ज़ोनल रेलवे/ उत्पादन इकाई के संबंधित प्राधिकारियों को उचित उम्मीदवारों के नामों की अनुशंसा करना है, जो रिक्तियों की उपलब्धता और उनके पूर्ववृत्त और चरित्र सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, उनके लिए नियुक्ति पत्र का प्रस्ताव जारी करते हैं।

19.7 चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करना होगा और प्रशिक्षण अवधि के दौरान यथा लागू केवल वज़ीफ़ा का भुगतान किया जाएगा।

19.8 रेलवे/ पद में कार्यग्रहण करते समय जहाँ आवश्यक हो चयनित उम्मीदवारों को प्रतिभूति और/ अथवा क्षतिपूर्ति बॉन्ड भरना होगा।

19.9 सामान्यतया रेलवे कर्मचारी को उसके सेवाकाल के दौरान रेलवे में नियुक्त किया जाएगा अथवा उस रेलवे संस्थान में नियुक्त किया जाएगा, जहाँ उसे प्रथम नियुक्ति पर तैनात किया गया था और उसका कोई अधिकार नहीं होगा कि वह अन्य रेलवे या प्रतिष्ठान में स्थानांतरण के लिए उसके अधिकार का दावा करे। सेवा की अनिवार्य आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये सक्षम प्राधिकारी को यह प्राधिकार रहेगा कि वह रेलवे कर्मचारी को किसी अन्य विभाग में या रेलवे या रेलवे प्रतिष्ठान में, भारत में या भारत के बाहर किसी परियोजना में स्थानांतरित करें।

19.10 जिन चयनित उम्मीदवारों को अंतिम रूप से नियुक्त किया गया है, उन्हें प्रादेशिक सेना के रेलवे इंजीनियर के यूनिट में सक्रिय सेवा देने की जिम्मेदारी भी निभानी होगी।

19.11 आरआरबी को यह अधिकार होगा कि जब भी आवश्यकता या प्रयोज्यता हो सीईएन के अंतर्गत भर्ती की शर्तों और नियमों में किसी परवर्ती परिवर्तन/ आशोधन/ परिवर्धन का समावेश करे।

19.12 रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की सहमति से उसके द्वारा रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों को अन्य मंत्रालयों/ विभागों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी संगठनों के साथ, संबंधित संगठनों में भर्ती के लिए उन्हें बताया जा सकता है। उम्मीदवारों द्वारा **ऑनलाइन** आवेदन प्रस्तुत करते समय इस आशय से संबंधित सहमति अथवा असहमति दी जा सकती है।

20.0 विभिन्न आरआरबी और उनके वेबसाइट पते के ब्योरे नीचे दर्शाए गए हैं :-

रेलवे भर्ती बोर्ड का नाम	वेबसाइट का पता और टेलीफ़ोन नंबर	रेलवे भर्ती बोर्ड का नाम	वेबसाइट का पता और टेलीफ़ोन नंबर
अहमदाबाद	www.rrbahmedabad.gov.in फ़ोन : 079 – 22940858	गुवहाटी	www.rrbguwahati.gov.in फ़ोन : 0361 – 2540815
अजमेर	www.rrbajmer.gov.in फ़ोन : 0145 – 2425230	जम्मू – श्रीनगर	www.rrbjammu.nic.in फ़ोन : 0191 – 2476757
इलाहाबाद	www.rrbald.gov.in फ़ोन : 0532 – 2224531	कोलकाता	www.rrbkolkata.gov.in फ़ोन : 033 – 25430108
बेंगलूरू	www.rrbbnc.gov.in फ़ोन : 080 – 23330378	माल्दा	www.rrbmalda.gov.in फ़ोन : 03512 – 264567
	फ़ोन : 080 – 23334147	मुंबई	www.rrbmumbai.gov.in फ़ोन : 022-23090422
भोपाल	www.rrbbhopal.gov.in फ़ोन : 0755 – 2746660	मुज़फ्फरपुर	www.rrbmuzaffarpur.gov.in फ़ोन : 0621 – 2213405
भुवनेश्वर	www.rrbbbs.gov.in फ़ोन : 0674 – 2303015	पटना	www.rrbpatna.gov.in फ़ोन : 0612 – 2677680
बिलासपुर	www.rrbbilaspur.gov.in फ़ोन : 07752 - 247291	रांची	www.rrbranchi.gov.in फ़ोन : 0651 - 2462429
चंढ़ीगढ़	www.rrbcdg.gov.in फ़ोन : 0172 – 2730093	सिकंदराबाद	www.rrbsecunderabad.nic.in फ़ोन : 040 – 27821663
चेन्नई	www.rrbchennai.gov.in फ़ोन : 044 – 28275323	सिलिगुड़ी	www.rrbsiliguri.org फ़ोन : 0353 – 2663840
गोरखपुर	www.rrbgkp.gov.in फ़ोन : 0551 – 2201209	तिरुवनंतपुरम	www.rrbthiruvananthapuram.gov.in फ़ोन : 0471-2323357

21.0 इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) में प्रयोग हुई संक्षिप्तियाँ :

भर्ती प्रक्रिया के चरण	सीबीटी : कंप्यूटर आधारित परीक्षा, डीवी : दस्तावेज़ सत्यापन
आरक्षण/ आयु में छूट प्राप्त वर्ग	ईबीसी = आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, भूपू-सै. = भूतपूर्व सैनिक, अपिव-सीएल= अन्य पिछडा वर्ग- क्रीमी लेयर, अपिव- एनसीएल = अन्य पिछडा वर्ग – नॉन क्रीमी लेयर, अ.जा. = अनुसूचित जाति, अ.ज.जा. = अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस =आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, अना = अनारक्षित (सामान्य)
दिव्यांगता	आर-वीआई=नियमित दृष्टि बाधिता, आर-एचआई = नियमित श्रवण बाधिता, आर-एलडी = नियमित लोकोमोटर अशक्तता, आर-ओडी = नियमित अन्य अशक्तता, आर-एमडी = नियमित बहु अशक्तता, बी-वीआई=बैकलॉग दृष्टि बाधिता, बा-एचआई = बैकलॉग श्रवण बाधिता, बी-एलडी = बैकलॉग लोकोमोटर अशक्तता, बी-ओडी = बैकलॉग अन्य अशक्तता, बी-एमडी = बैकलॉग बहु अशक्तता, एएवी=एसिड हमले के शिकार, एएसडी=स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार, बी=नेत्रहीन, बीएल=दोनों पैर, डी=बधिर, डीडब्ल्यू=बौनापन, एचएच=श्रवण बाधिता, एचआई=श्रवण बाधिता, आईडी= बैद्धिक दिव्यांगता, एलसी=कुष्ठरोग उपचारित, एलडी=लोकोमोटर दिव्यांगता, एलवी=कमजोर दृष्टि, एमडी=मांसपेशीय दुर्विकास, एमडब्ल्यू= मांसपेशीय कमजोरी, ओए=एक हाथ, ओएल=एक पैर, ओएएल=एक हाथ व एक पैर, पीडब्ल्यूबीडी=बेंचमार्ग दिव्यांग व्यक्ति, आरपीडब्ल्यूडी = दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार, एसएलडी= बीतचीत एवं भाषा दिव्यांगता, वीआई=दृष्टि हीनता।
रेलवे जोन/ संगठन	सीएलडब्ल्यू=चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कस् , चित्तरंजन; म.रे.=मध्य रेलवे, डीएलडब्ल्यू=डीज़ल लोकोमोटिव वर्कस् वाराणसी; डीएमडब्ल्यू=डीज़ल लोको मोडरनैज़ेशन वर्कस्, पटियाला; पू.रे.=पूर्व रेलवे, पू.म.रे.=पूर्व मध्य रेलवे, पू.त.रे.=पूर्व तट रेलवे, आईसीएफ=इंटग्रल कोच फैक्टरी, चेन्नई; उ.रे.=उत्तर रेलवे, उ.म.रे.=उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वो.रे.= पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वो.सी.रे.=पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, उ.प.रे.=उत्तर पश्चिम रेलवे, पीएसयू=सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, पीयू=उत्पादन इकाई, आरसीएफ=रेल कोच फैक्टरी, कपुर्तला; आरडीएसओ= अनुसंधान अभिकल्प व मानक संगठन, लखनऊ; रे.=रेलवे, रेलवे भर्ती बोर्ड=रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरसी=रेलवे भर्ती सेल, आरडब्ल्यूएफ=रेल पहिया फैक्टरी, बेंगलूरु; आरडब्ल्यूपी=रेल व्हील प्लांट, बेला; द.रे.=दक्षिण रेलवे, द.म.रे.=दक्षिण मध्य रेलवे, द.पू.रे.=दक्षिण पूर्व रेलवे, द.पू.म.रे.=दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, द.प.रे.= दक्षिण पश्चिम रेलवे, प.रे.=पश्चिम रेलवे, प.म.रे.=पश्चिम मध्य रेलवे।
रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी)	एडीआई=अहमदाबाद, एआईआई=अजमेर, एएलडी=इलाहाबाद, बीबी=मुंबई, बीबीएस=भुवनेश्वर, बीपीएल=भोपाल, बीएसपी=बिलासपुर, सीडीजी=चंडीगढ़, जीकेपी=गोरखपुर, जीएचवाई=गुवाहाटी, जेएटी=जम्मू श्रीनगर, कीओएल=कोलकाता, एमएएस=चेन्नई, एमएलडी=मालदा, एमएफपी=मुज़फ्फरपुर, पीएनबीई=पटना, आरएनसी=रांची, एसबीसी=बेंगलूरु, एससी=सिकंदराबाद, एसजीयूजे=सिलीगुड़ी, टीवीसी=तिरुवनंतपुरम।
सामान्य	सीबीएसई=केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड; सीईएन=केंद्रीकृत रोजगार सूचना, आईएफएससी= इंडियन फैनान्शियल सिस्टम कोड, जेपीईजी = जाइंट फ़ोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, के.बी.=किलो बाइट, एलटीआई=लेफ्ट थंब इंप्रेशन, ओटीपी=वन टाइम पासवर्ड, यूपीआई=यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।

चेतावनी :-

- प्रभाव दिखकार या अनुचित और अनैतिक साधनों के इस्तेमाल से रेलवे में नौकरी दिलाकर कपट करने वाले दलालों और नौकरी दिलाने वाले घोटालेबाजों से सावधान रहें। रेलवे ने इस हेतु किसी एजेंट या कोचिंग केंद्र की नियुक्ति नहीं की है। उम्मीदवारों को ऐसे व्यक्तियों/ एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले दावों के बारे में सचेत किया जाता है। उम्मीदवारों का चयन पूर्णतया मेरिट के आधार पर होता है। अनैतिक तत्वों से सावधान रहें और उनके चंगुल में न फंसे। रेलवे भर्ती बोर्ड को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।
- उम्मीदवारों को केवल रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से परामर्श लेने और अनैतिक तत्वों/ दलालों द्वारा बनाई गई जाली वेबसाइटों से सावधान रहने की सलाह दी जाती है।

अनुलग्नक-I

अजा/अजजा के लिए जाति प्रमाणपत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री*/ श्रीमती/ कुमारी* ....सुपुत्र/सुपुत्री* .... गाँव/ शहर...................................... /जिला/ मंडल*...राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र*................................जाति*/ जनजाति से संबंधित हैं, जिसे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के तहत मान्यता प्राप्त है :-

* संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950.
* संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950.
* संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) (भाग ग राज्य) आदेश 1951;
* संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) (भाग ग राज्य) आदेश 1951;

[अनुसूचित जाति तथ अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधित आदेश 1956, मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश, (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित]

* संविधान (जम्मू व कश्मीर)* अनुसूचित जाति आदेश, 1956
* संविधान (अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह)* अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित, * संविधान (दादर व नगर हवेली)* अनुसूचित जाति आदेश, 1962.
* संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश, 1962
* संविधान (पुदुचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
* संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967
* संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
* संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
* संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970.
* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
* संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989.
* संविधान (अजा) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
* संविधान (अजजा) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991
* संविधान (अजजा) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996
* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002.
* अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

2. एक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के मामले में लागू। यह प्रमाणपत्र श्री/ श्रीमती*.............................पिता/ माता*......................................के श्री/ श्रीमती/ कुमारी……….......निवासी.…............. गाँव/ शहर*........................./जिला/ मंडल*............................ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र*…………………को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया गया है, जो................जाति/ जनजाति से संबंधित हैं, जिसे राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में दिनांक............से मान्यता प्राप्त है।

3. श्री/ श्रीमती/ कुमारी* और/ अथवा* उसका* परिवार राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र......................के .... जिला/ मंडल*............................ गाँव/ शहर* में सामान्यत: निवास करता है।

स्थान................................. हस्ताक्षर...

दिनांक.................................. पदनाम..

(कार्यालय की मुहर सहित)

राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र.............

* जो लागू नहीं है, कृपया उसे काट दें।

@ कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश का हवाला दें।

% लागू न होने वाले पैराग्राफ को हटा दें।

टिप्पणी: (क) यहाँ इस्तेमाल किए गए पद “सामान्यत: निवास' का अर्थ लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अनुसार ही है। जाति/ जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारी।

(1) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला माजिस्ट्रेट / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट / उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी माजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त । (2) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट । (3) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे के न हों । (4) उस क्षेत्र के उपविभागीय अधिकारी, जहाँ उम्मीदवार और या उनका परिवार सामान्य रूप से रहता है । (5) केंद्रीय या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र, जिसे संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो। (6) प्रशासक/ प्रशासक के सचिव (लक्षद्वीव, मिनिकॉय तथा अमीनदीवी द्वीप)।

अनुलग्नक-II

अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र प्रारूप

भारत सरकार के अधीन पदों के नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले
अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी ....सुपुत्र/ सुपुत्री ....गाँव/ शहर.........................जिला/ मंडल................... राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र..................................... समुदाय से संबंध रखता है, जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं. ....दिनाक .... * के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।

श्री/ श्रीमती/ कुमारी*..और/ अथवा उसका परिवार ....राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के... जिला/ मंडल ....में सामान्यत: निवास करता/ करती है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना(एससीटी), दिनांक 8.9.1993 की अनुसूची के कॉलम संख्या 3 में वर्णित व्यक्ति/ वर्ग (क्रीमीलेयर) और भारत सरकार, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्थापना(आरईएस) दिनांक 27.05.2013 तथा 13.09.2017** द्वारा आशोधित, के अंतर्गत नहीं आता है।

दिनाक :

जिला मजिस्ट्रेट/ उप. आयुक्त आदि
(मुहर)

*** प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्योरा देना होगा, जिसके अंतर्गत उम्मीदवार की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती है।**

**** समय-समय पर यथा संशोधित।**

नोट : यहाँ इस्तेमाल किए गए पद “सामान्यत:’ का अर्थ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अनुसार ही होगा।

अनुलग्नक-IIए

घोषणा

केंद्रीकृत रोज़गार सूचना संख्या 02/2019 के पदों के लिए आवेदन करने वाले
अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा का प्रारूप

“मैं,...सुपुत्र/सुपुत्री....................... .... श्री......................................गाँव/ शहर/..........................जिला .... राज्य..एतद्वारा घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मैं.............................समुदाय (अपनी उप-जाति का उल्लेख करें), जिसे कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना(एससीटी), दिनांक 8.9.1993 में अंतर्विष्ट आदेशों के अनुसार सेवा में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यह भी घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मैं उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन 08.03.1993 और उत्तरवर्ती संशोधित कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्थापना(आरईएस) दिनांक 27.05.2013 तथा 13.09.2017 की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/ वर्गों (क्रीमीलेयर) के अंतर्गत नहीं आता/ आती हूँ।

स्थान : उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दिनांक : उम्मीदवार का नाम

______________________सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला
आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र क्र.. ______________________ **दिनांक :_________**

वर्ष_________ के लिए वैध

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी_______________________________________ पुत्र/पुत्री/पत्नी,श्री____,ग्राम/मुहल्ला______________________डाकघर ________________ जिला _________________ राज्य/संघशासित प्रदेश _______________________________ पिन कोड _________ के मूल निवासी हैं, जिनकी फ़ोटो नीचे अनुप्रमाणित है, वे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष.........में उनकी/उनके परिवार** की सकल वार्षिक आय* 8 लाख रुपए (आठ लाख रुपए केवल) से कम है। उनके/उनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति*** नहीं है

I. 5 एकड़ और उससे ऊपर कृषि भूमि;

II. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;

III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;

IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड।

2. श्री / श्रीमती / कुमारी ____ उस जाति से संबंधित हैं, जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर----------------

नाम________________________________

पदनाम______________________________

आवेदक का
नवीनतम पासपोर्ट आकार का
अनुप्रमाणित फ़ोटो

*** नोट 1 :** आय के अंतर्गत सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे इत्यादि शामिल हैं।

**** नोट 2 :** इस उद्देश्य के लिए 'परिवार' शब्द में, आरक्षण का लाभ चाहने वाले व्यक्ति के माता-पिता, 18 साल से कम उम्र के भाई-बहन तथा उसके पति/ पत्नी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं।

***** नोट 3:** ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों या शहरों / शहरों में एक 'परिवार' द्वारा रखी गई संपत्ति को जोड़ा गया है।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आय प्रमाणपत्र

केंद्रीकृत रोज़गार सूचना संख्या 02/2019 के पदों के लिए

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के समय

परीक्षा शुल्क छूट की **घोषणा का प्रारूप**

1. उम्मीदवार का नाम : ....

2. पिता का नाम : ....

3. आयु : ....

4. आवासीय पता : ....

5. वार्षिक पारिवारिक आय (शब्दों व अंकों में) : ....

दिनांक : ....   हस्ताक्षर :

नाम :

जारी करने वाले प्राधिकारी का मोहर :

नोट : आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का मतलब उस उम्मीदवार से है, जिसकी पारिवारिक वार्षिक आय रु. 50,000/- रुपए से कम है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने के प्रयोजन से आय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी अधिकृत हैं :

1.जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के स्तर से ऊपर का राजस्व अधिकारी (2) लोकसभा के वर्तमान सांसद, उनके अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए (3) किसी ग़रीब उपशमन कार्यक्रम के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा जारी बीपीएल कार्ड या अन्य कोई प्रमाणपत्र या रेलवे द्वारा जारी इज़्ज़त एमएसटी (4) केंद्रीय मंत्री भारत में कहीं भी किसी व्यक्ति के लिए अध्यक्ष/ रेलवे भर्ती बोर्ड को सिफारिश कर सकता है (5) उस जिले के व्यक्तियों के लिए, जहाँ राज्य सभा का वर्तमान सदस्य सामान्यत: निवास करता है।

अनुलग्नक-IV

घोषणा

केंद्रीकृत रोज़गार सूचना (सीईएन) 02/2019 के पदों के लिए
अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के समय जमा कराए जाने वाला
परीक्षा शुल्क से छूट की घोषणा का प्रपत्र

मैं, ____________________________________ सुपुत्र/सुपुत्री श्री________________________ निवासी गाँव/ शहर/ नगर__________________जिला____________________राज्य __________________________ एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं __________(केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक वर्ग दर्शाए यथा मुस्लिम/ सिख/ इसाई/ बौद्ध/ जैन/ जोरोस्ट्रियन (पारसी) से संबद्ध रखता हूँ/ रखती हूँ।

तारीख :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर :

स्थान :

उम्मीदवार का नाम :

नोट : परीक्षा फीस की छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अल्पसंख्यक समुदाय संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना होगा कि वह केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी एक अल्पसंख्यक समुदाय (अर्थात् मुस्लिम/ सिख/ ईसाई/ बौद्ध/ जैन/ जोरोस्ट्रियन (पारसी) के अंतर्गत आता है।

फार्म - V

दिव्यांग प्रमाणपत्र

(अंगछेदन या अंगों के पूर्णतः स्थायी लकवा होने या बौनापन तथा नेत्रहीनता की स्थिति में)

(नियम 18 (1) देखें)

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही में खिंचा हुआ पासपोर्ट आकार का प्रमाणित फ़ोटो (जिसमें केवल चेहरा दिखे)

प्रमाणपत्र संख्या.................................. दिनांक :

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती/ कुमारी.. सुपुत्र/ पत्नी/ सुपुत्री.............................जन्म तिथि (तारीख/ महीना/ वर्ष).............पुरुष/ महिला.......... पंजीकरण संख्या........ स्थायी निवासी मकान संख्या...................वार्ड/ गाँव/ गली..........डाकघर................जिला....................राज्य.....................का ध्यानपूर्वक परीक्षण कर लिया है, जिसका फ़ोटो ऊपर चिपकाया गया है और मैं आश्वस्त हूँ कि

(क) यह मामला :

- लोकोमोटर अपंगता
- बौनापन
- नेत्रहीनता से ग्रस्त है

(जो लागू हो उस पर सही का चिह्न लगाए)

(ख) उसकी अपंगता का निदान...

(1) दिशानिर्देशों के अनुसार (जारी की गई संख्या तथा तारीख उल्लेख किया जाए) उसके .... (शरीर का अंग) में...........की स्थायी शारीरिक अपंगता/ नेत्रहीनता............प्रतिशत (अंकों में) .... प्रतिशत (शब्दों में) है।

(2) आवेदक ने निवास के सबूत के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है ।

दस्तावेज़ की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्योरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर व मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में अपंगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

फार्म-VI

दिव्यांगता प्रमाणपत्र
(एक से ज्यादा दिव्यांगता होने की स्थिति में)
(नियम 18 (1) देखें)
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही में खींचा हुआ पासपोर्ट आकार का प्रमाणित फ़ोटो (जिसमें केवल चेहरा दिखे)

प्रमाणपत्र संख्या.................................... दिनांक :

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती/ कुमारी..

सुपुत्र/ पत्नी/ सुपुत्री..............................जन्म तिथि (तारीख/ महीना/ वर्ष)…………..पुरुष/ महिला………. पंजीकरण संख्या........ स्थायी निवासी मकान संख्या……………….वार्ड/ गाँव/ गली……….डाकघर……………..जिला...................राज्य.....................का ध्यानपूर्वक परीक्षण कर लिया है, जिसका फ़ोटो ऊपर चिपकाया गाया है और मैं आश्वस्त हूँ कि :

(क) वह एक से अधिक अपंगता से ग्रस्त है। उसकी स्थायी शारीरिक बाधा/ अपंगता की सीमा का नीचे चिह्नित अपंगताओं व दी गई तालिका में दर्शाई गयी अपंगता का दिशानिर्देशों के अनुसार (जारी की गई संख्या तथा तारीख उल्लेख किया जाए) मूल्यांकन किया गया है :

क्र. सं.	अपंगता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक बाधिता/ मानसिक अपंगता (%में)
1.	लोकोमोटर दिव्यांगता	@		
2.	मांसपेशीय दुर्विकास			
3.	कुष्ठरोग उपचारित			
4.	बौनापन			
5.	मस्तिष्क पक्षाघात			
6	एसिड हमले के शिकार			
7.	कमज़ोर दृष्टि	#		
8.	दृष्टिहीनता	#		
9.	बधिर	£		
10.	श्रवण बाधिता	£		
11.	बातचीत एवं भाषा दिव्यांगता			
12.	बौद्धिक दिव्यांगता			
13.	विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता			
14.	स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार			
15.	मानसिक रोग			
16.	जीर्ण तंत्रिका की स्थिति			
17.	मल्टिप्ल सिरोसिस			
18.	पार्किनसन रोग			
19.	अधिरक्तस्राव			
20.	थेलेसीमिया			
21.	सिकल सेल रोग			

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए दिशानिर्देशों के अनुसार (जारी की गई संख्या तथा तारीख उल्लेख किया जाए) कुल मिलाकर उसकी स्थायी शारीरिक अपंगता निम्नानुसार है :-

अंकों में ....% शब्दों में .... प्रतिशत

2.उपरोक्त स्थिति बढ़ रही है/ नहीं बढ़ रही है/ सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3.दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन

(I) आवश्यक नहीं है या

(II) .... वर्ष .... माह के बाद सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र--------------- (तारीख/ माह/ वर्ष) तक वैध होगा।

@ अर्थात् बायाँ/ दायाँ/ दोनों हाथ/ पैर, # अर्थात् एक आँख/ दोनों आँखें, £ अर्थात् बायाँ/ दायाँ/ दोनों कान

4. आवेदक ने आवास स्थान के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है :

दस्तावेज़ का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्योरा

5. चिकित्सा प्राधिकरण के हस्ताक्षर व मुहर :

सदस्य का नाम व मुहर	**सदस्य का नाम व मुहर**	**अध्यक्ष का नाम व मुहर**

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में अपंगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

अनुलग्नक-V(सी)

फार्म-VII

दिव्यांगता प्रमाणपत्र

(फार्म-V व VI में उल्लिखित के अलावा अन्य मामलों में)
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)
(नियम 18 (1) देखें)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही में खींचा हुआ पासपोर्ट आकार का फ़ोटो (केवल चेहरा), जो साक्ष्यांकित किया गया हो

प्रमाणपत्र सं .... दिनांक ....

1.यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती/ कुमारी......................................
सुपुत्र/ पत्नी/ सुपुत्री..
जन्मतिथि (तारीख/ माह/ वर्ष)............................. आयु .... वर्ष................. पुरुष/ महिला .... पंजीकरण सं. ....
स्थायी निवासी मकान नं. .... वार्ड/ गाँव/ गली .... पोस्ट ऑफिस................ जिला.......................... राज्य .... जिनका फ़ोटो ऊपर चिपकाया गया है, का ध्यानपूर्वक परीक्षण कर लिया है और मैं आश्वस्त हूँ कि उनका मामला .... अपंगता का है। उनकी शारीरिक बाधिता/ अपंगता की सीमा के प्रतिशत का मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुसार (......संख्या और दिशा-निर्देशों के जारी करने की तारीख का उल्लेख किया जाए) किया गया है और इन्हें नीचे तालिका में उल्लिखित संबंधित अपंगता के सामने दर्शाया गया है :-

क्र. सं.	अपंगता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक बाधिता/ मानसिक अपंगता (%में)
1.	लोकोमोटर दिव्यांगता	@		
2.	मांसपेशीय दुर्विकास			
3.	कुष्ठरोग उपचारित			
4.	मस्तिष्क पक्षाघात			
5.	एसिड हमले के शिकार			
6.	कमज़ोर दृष्टि	#		
7.	बधिर	£		
8.	श्रवण बाधिता	£		
9.	बातचीत एवं भाषा दिव्यांगता			
10.	बौद्धिक दिव्यांगता			
11.	विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता			
12.	स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार			
13.	मानसिक रोग			
14.	जीर्ण तंत्रिका की स्थिति			
15.	मल्टिप्ल सिरोसिस			
16.	पार्किनसन रोग			
17.	अधिरक्तस्राव			
18.	थेलेसीमिया			
19.	सिकल सेल रोग			

(जो अपंगता लागू न हो उसे काट दें)

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए दिशानिर्देशों के अनुसार (जारी की गई संख्या तथा तारीख उल्लेख किया जाए) कुल मिलाकर उसकी स्थायी शारीरिक अपंगता निम्नानुसार है :-

अंकों में ....% शब्दों में .... प्रतिशत

2.उपरोक्त स्थिति बढ़ रही है/ नहीं बढ़ रही है/ सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3.दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन

(I) आवश्यक नहीं है या

(II) .... वर्ष .... माह के बाद सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र------------ (तारीख/ माह/ वर्ष) तक वैध होगा।

@ अर्थात् बायाँ/ दायाँ/दोनों हाथ/ पैर

अर्थात् एक आँख/ दोनों आँखें

£ अर्थात् बायाँ/ दायाँ/ दोनों कान

4. आवेदक ने आवास स्थान के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है :

दस्तावेज़ का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्योरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर)
(नाम व मोहर)
प्रतिहस्ताक्षरित

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी के सरकारी सेवक न होने के मामले में, सरकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ चिकित्सा अधीक्षक/ प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर व मोहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/ अंगूठे के निशान, जिसके पक्ष में अपंगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

टिप्पणी- प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी के सरकारी सेवक न होने के मामले में,यह जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर होने पर ही वैध होगा।
प्रमुख नियमों को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या S.O.908(E), दिनांक 31.12.1996 को प्रकाशित किया गया था

स्क्राइब की सहायता लेने हेतु घोषणा

टिप्पणी : दृष्टि बाधिता वाले (वीआई) उम्मीदवार/ सेरेब्रल पालिसी के कारण जिनकी लेखन गति प्रभावित हो/ मांशपेशीय दुर्विकास/ लोको मोटर दिव्यांगता वाले उम्मीदवार (एक हाथ)/ बौद्धिक दिव्यांगता वाले (स्वलीनता, स्पेसिफिक लर्निंग अपंगता और मानसिक बीमारी) उम्मीदवार स्क्राइब के लिए पात्र हैं।

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तावित किए जाने वाले स्क्राइब का विवरण

1. उम्मीदवार का नाम ....
2. रोल नंबर...
3. सीबीटी केंद्र का नाम...
4. उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता.............................
5. दिव्यांगता का प्रकार...
6. स्क्राइब का नाम ....
7. स्क्राइब की जन्म तिथि..
8. स्क्राइब के पिता का नाम ....
9. स्क्राइब का पता :
   (a) स्थायी पता ....
   ....
   (b) वर्तमान पता ....
   ....
10. स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यता ....
   ....
11. स्क्राइब का उम्मीदवार के साथ संबंध, यदि कोई हो ....
12. घोषणा :
   i) हम एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त ब्योरा सत्य है और हमारे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही है। हमने इस परीक्षा में स्क्राइब की सहायता लेने वाले उम्मीदवारों के आचरण के बारे में रेलवे भर्ती बोर्ड के दिशानिर्देशों को पढ़ लिया है और एतद् द्वारा उनके पालन का वचन देते हैं।
   ii) हमलोग यह उत्तरदायित्व लेते हैं कि स्क्राइब की शैक्षिक योग्यता सही लिखी गई है और स्क्राइब की शैक्षिक योग्यता उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता से एक स्तर नीचे है। अगर, आगे यह पता चलता है कि स्क्राइब की शैक्षिक योग्यता घोषणा के अनुसार नहीं है तो मैं (उम्मीदवार) पद के लिए दावे के अधिकार से बंचित हो जाऊंगा।
   iii) हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि स्क्राइब खुद इस परीक्षा में उम्मीदवार नहीं है। हम समझते हैं कि अगर यह पता चलता है कि वह इस परीक्षा का उम्मीदवार है तो हम दोनों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
   iv) हम घोषणा करते हैं कि इस परीक्षा में स्क्राइब ने किसी उम्मीदवार के लिए लिखने का काम नहीं किया है/ किसी अन्य उम्मीदवार के लिए इस परीक्षा में लिखने का काम नहीं करेगा।

स्क्राइब का हाल ही में खिंचाया पासपोर्ट आकार का 3.5 मिमी x 4.5 मिमी का रंगीन फ़ोटो (जो तीन महीने से ज़्यादा पुराना न हो)

उक्त बक्स में स्क्राइब के हस्ताक्षर

____
(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

____
(स्क्राइब के हस्ताक्षर)

उपर्युक्त बक्स में स्क्राइब के बाएँ अंगूठे की छाप

बाएँ अंगूठे की छाप

वीक्षक के हस्ताक्षर

पूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत नागरिक रोज़गार के संबंध में पूर्व सैनिक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा

मैं भलीभाँति जानता हूँ कि मैं इस केंद्रीकृत रोज़गार सूचना (सीईएन) द्वारा की जाने वाली भर्ती के संबंध में यदि मुझे इस तरह की नियुक्ति से पहले किसी भी समय असैनिक रोज़गार में (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय/ सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि) पूर्व सैनिकों के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की छूट का लाभ उठाकर रोज़गार मिला है, तो पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्ति में नियुक्त होने के योग्य नहीं रहूँगा।

<u>मैं एतद् द्वारा निम्नलिखित तथ्यों की भी घोषणा करता हूँ :</u>

क) मैंने सीईएन 02/2019 के पदों के लिए दस्तावेज़ सत्यापन हेतु उपस्थित होने से पहले पूर्व सैनिक कोटा का लाभ उठाकर कोई असैनिक रोज़गार प्राप्त नहीं किया है।

ख) मैंने असैनिक रोज़गार में नौकरी पाने के लिए पूर्व सैनिक कोटे का लाभ उठाया है और मैंने असैनिक रोज़गार में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, सीईएन 02/2019 में अधिसूचित विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करने हेतु आवेदन के विवरण के बारे में अपने नियोक्ता को स्व घोषणा/ वचन दिया है। वर्तमान नियोक्ता से स्व घोषणा/ वचन को प्रस्तुत करने के लिए प्रमाणपत्र संलग्न है।

(जो भी लागू न हो, उसे काट दें।)

स्थान : हस्ताक्षर :

तारीख : नाम :

रोल नंबर:

सीईएन-02/2019 : पद मापदंड

Cat No	Name of the Post	Level	Pay	Lower Age	Upper Age	Medical Standard	Suitability for Persons with Benchmark Disability				Minimum Educational Qualifications
							VI	LD	HI	OD	
1	DIETICIAN	7	44900	18	33	C2	NO	OA, OL, BL, LC, DW, AA V	D, HH	NO	B Sc (Science) with Post Graduate Diploma in Dietetics (one year course) from a recognized institution plus 3 months internship training in a hospital. (OR) B.Sc Home Science plus M.Sc Home Science (Food and Nutrition) from a recognised institution.
2	STAFF NURSE	7	44900	20	40	C1	NO	OL, AA V	NO	NO	Certificate as Registered Nurse and Midwife having passed 3 years course in General Nursing and Midwifery from a school of Nursing or other institution recognized by the Indian Nursing Council (OR) B.Sc (Nursing). Note: The Indian Nursing Council has also laid down certain special concessions for the above courses in respect of Auxiliary nurse-Midwives, Midwives and 'B' Grade Nurses, by way of reduced course period etc. Candidates obtaining the qualification prescribed above, under these concessions will also be eligible for recruitment.

Cat No	Name of the Post	Level	Pay	Lower Age	Upper Age	Medical Standard	Suitability for Persons with Benchmark Disability				Minimum Educational Qualifications
							VI	LD	HI	OD	
3	DENTAL HYGIENIST	6	35400	18	33	C2	NO	OL, DW	NO	NO	(a) Degree in Science (Biology) from a recognized university or equivalent AND (b) Diploma / Certificate Course (2 years) in Dental Hygiene from an institute recognized by Dental Council of India AND (c) Registered with Dental Council of India as Dental Hygienist AND (d) Two years experience as Dental Hygienist. Note: Qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to SC/ST, if at any state of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.
4	DIALYSIS TECHNICIAN	6	35400	20	33	B1	NO	OL, DW	D, HH	NO	B.Sc., plus (a) Diploma in Haemodialysis (OR) (b) Two years satisfactory in-house Training / Experience in Haemodialysis work in a reputed institution (Document proof to be uploaded).
5	EXTENSION EDUCATOR	6	35400	22	35	C1	NO	NO	NO	NO	Graduation in Sociology / Social Work / Community Education disciplines with 2 years diploma in Health Education from a recognized University.
6	HEALTH and MALARIA INSPECTOR GRADE III	6	35400	18	33	C1	LV	OA, OL, LC, DW, AA	D, HH	NO	B.Sc. having studied Chemistry as Main / Optional subject in any branch of Chemistry while undertaking the course. Plus (a) One year Diploma of Health /

Cat No	Name of the Post	Level	Pay	Lower Age	Upper Age	Medical Standard	Suitability for Persons with Benchmark Disability				Minimum Educational Qualifications
							VI	LD	HI	OD	
								V			Sanitary inspector (OR) (b) One year National Trade Certificate (NTC) in Health Sanitary inspector awarded by National Council for Vocational Training, Ministry of Labour and Employment, Government of India, New Delhi.
7	LAB SUPERINTENDENT GRADE III	6	35400	18	33	B1	NO	OL, BL, DW	D, HH	NO	B.Sc with Bio-Chemistry / Micro Biology / Life science / B.Sc with Chemistry and Biology as main or as optional / subsidiary subjects or equivalent plus Diploma in Medical Lab technology (DMLT) or equivalent (OR) B.Sc in Medical Technology (Laboratory) from a recognized institution.
8	OPTOMETRIST	4	25500	18	33	B1	NO	OL, DW	D, HH	NO	B.Sc in Optometry or Diploma in Ophthalmic Technician (the course should be of 3 to 4 years duration). The candidate should have Registration with the concerned Council / Lसीईएनsing body.
9	PERFUSIONIST	6	35400	21	40	**B1**	NO	AA V	NO	NO	B.Sc with Diploma in Perfusion Technology (OR) B.Sc and Three years experience in Cardio Pulmonary Pump Technician in Reputed Recognised Hospital.
10	PHYSIOTHERAPIS	6	35400	18	33	C1	B, LV	OL, BL, DW	D, HH	NO	(i) Bachelors' Degree in Physiotherapy from a recognized University and (ii) Two years practical experience in Physiotherapy from the Government / Private Hospital with atleast one hundred beds.
11	PHARMACIST GRADE III	5	29200	20	35	C2	NO	OA, OL, OA	D, HH	NO	10+2 in Science or its equivalent, with Diploma in Pharmacy from recognized institution and registered as Pharmacist

Cat No	Name of the Post	Level	Pay	Lower Age	Upper Age	Medical Standard	Suitability for Persons with Benchmark Disability				Minimum Educational Qualifications
							VI	LD	HI	OD	
								L, LC, DW, AA V			under the Pharmacy Act, 1948 (OR) Bachelor degree in Pharmacy (B.Pharma) from a recognized University or equivalent and Registered as a Pharmacist under the Pharmacy Act,1948
12	RADIOGRAPHER	5	29200	19	33	B1	NO	OA, OL, BL, DW	D, HH	NO	10+2 with Physics and Chemistry and Diploma in Radiography / X Ray Technician / Radiodiagnosis Technology (2 years course) from recognized institute. Science graduates with Diploma in Radiography / X Ray Technician / Radiodiagnosis Technology (2 years course) shall be preferred.
13	SPEECH THERAPIST	5	29200	18	33	B1	LV	OL, DW	No	NO	(i) B.Sc and Diploma in Audio and Speech Therapy and(ii) 2 years experience in the related field.
14	ECG TECHNICIAN	4	25500	18	33	C1	NO	AAV	NO	NO	10+2 / Graduation in Science having Certificate/Diploma/Degree in ECG Laboratory Technology / Cardiology / Cardiology Technician / Cardiology Techniques of a reputed institution. Note: Certificate should be a minimum of one year duration and above. “Open and Distance Learning mode of education by the Universities established by an Act of Parliament or State Legislature, institutions Deemed to be Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 and institutions of National importance declared under an Act of Parliament stand automatically recognized for the purpose of employment to posts and services under

Cat No	Name of the Post	Level	Pay	Lower Age	Upper Age	Medical Standard	Suitability for Persons with Benchmark Disability				Minimum Educational Qualifications
							VI	LD	HI	OD	
											the सीईएनtral Government provided they have been approved by the University Grants Commission"
15	LADY HEALTH VISITOR	4	25500	18	30	C1	NO	OL, LC DW, AAV	NO	NO	12th (+2 stage) from a recognized Board/University with multipurpose workers course from institutes recognized by सीईएनtral/ State Governments.
16	LAB ASSISTANT GRADE II	3	21700	18	33	B1	NO	OL, BL DW	D, HH	NO	12th (10 + 2 stage) in Science plus (a) Diploma in Medical Laboratory Technology (DMLT) (OR) (b) Certificate Course in Medical Lab. Technology at par with) Diploma in Medical Laboratory Technology (DMLT)subject to the fulfilment of (i) The course has been done from the institution which is recognized by a University or Technical Board of State Government/सीईएनtral Government authority; (ii) The duration of the course is at least 01 year; (iii) During the course the candidate should have done the training on full time basis; and (iv) At the end of the course, there should be system of examination which has been successfully passes by the candidate. Note: Certificate should be a minimum of one year duration and above qualification should have been done full time. "Open and Distance Learning mode of education by the Universities established by an Act of Parliament or State Legislature, Institutions Deemed to be Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 and Institutions of National importance declared under an Act of Parliament stand automatically

Cat No	Name of the Post	Level	Pay	Lower Age	Upper Age	Medical Standard	Suitability for Persons with Benchmark Disability				Minimum Educational Qualifications
							VI	LD	HI	OD	
											recognized for the purpose of employment to posts and services under the सीईएनtral Government provided they have been approved by the University Grants Commission”

आरआरबी-wise, Railway-wise & Post-wise Vacancies for all the Notified Posts

RRB AHMEDABAD

Cat. No	Name of the post	Railway/ PU	No. of vacancies							Regular					Backlog				
			UR	SC	ST	OBC	EWS	TO-TAL	Ex SM	VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD
2	STAFF NURSE	WR	21	3	5	9	3	41	4			2							
6	HEALTH and MALARIA INSPECTOR GRADE III	WR	5		1	2	1	9	1	1									
11	PHARMACIST GRADE III	WR	18	2	1	6	2	29	3		1	3							
14	ECG TECHNICIAN	WR	1					1											
Total			45	5	7	17	6	80	8	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0

RRB AJMER

Cat. No	Name of the post	Railway/ PU	No. of vacancies							Regular					Backlog				
			UR	SC	ST	OBC	EWS	TO-TAL	Ex SM	VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD
1	DIETICIAN	NWR	1					1											
2	STAFF NURSE	NWR	18	3	2	6	2	31	3			1							
4	DIALYSIS TECHNICIAN	NWR	2					2				1							
10	PHYSIOTHERAPIST	NWR	1					1											
11	PHARMACIST GRADE III	NWR	16	2	1	4	1	24	2		1	1							
12	RADIOGRAPHER	NWR	4			1		5											
14	ECG TECHNICIAN	NWR	2			1		3											
16	LAB ASSISTANT GRADE II	NWR	11	3	1	5	2	22	2			1							
Total			55	8	4	17	5	89	7	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0

RRB ALLAHABAD

Cat. No	Name of the post	Railway/ PU	No. of vacancies							Regular					Backlog				
			UR	SC	ST	OBC	EWS	TO-TAL	Ex SM	VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD
2	STAFF NURSE	DLW	1	1	1	1		4											
		NCR	21	5	2	10	4	42	4			2							
		NR	22	9	4	17	6	58	6			3							
6	HEALTH and MALARIA INSPECTOR GRADE III	NCR		1			1	2											
		NR	9	3	1	5	1	19	1	1		1							
7	LAB SUPERINTENDENT GRADE III	NR	1			1		2											
10	PHYSIOTHERAPIST	DLW	1					1											
11	PHARMACIST GRADE III	DLW	2	1	1			4											
		NCR	10	1		4	1	16	1		1	1		1					
		NR	3	2	1	2	1	9	1			1							
12	RADIOGRAPHER	NCR	3	2	1	2	1	9	1										
15	LADY HEALTH VISITOR	DLW	1					1											
16	LAB ASSISTANT GRADE II	DLW	1	1	1			3											
		NCR	2	2		1	1	6	1		1	1							
Total			77	28	12	43	16	176	15	1	2	9	0	1	0	0	0	0	0

RRB BANGALORE																			
			No. of vacancies																
Cat. No	Name of the post	Railway/ PU	UR	SC	ST	OBC	EWS	TO- TAL	Ex SM	Regular					Backlog				
										VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD
2	STAFF NURSE	SWR	12	3	1	6	2	24	3			2							
6	HEALTH and MALARIA INSPECTOR GRADE III	SWR	3	2	1	3	1	10	1	2									
11	PHARMACIST GRADE III	SWR	7	2		3	1	13	3			2							
12	RADIOGRAPHER	SWR	2					2											
14	ECG TECHNICIAN	SWR	1					1											
16	LAB ASSISTANT GRADE II	SWR	1					1											
Total			**26**	**7**	**2**	**12**	**4**	**51**	**7**	**2**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

RRB BHOPAL																			
			No. of vacancies																
Cat. No	Name of the post	Railway/ PU	UR	SC	ST	OBC	EWS	TO- TAL	Ex SM	Regular					Backlog				
										VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD
2	STAFF NURSE	WCR	6	2	1	2		11				2							
		WR	1			1		2											
		WR	4	2	1	3	1	11	1			1							
3	DENTAL HYGIENIST	WCR	1					1				1							
6	HEALTH and MALARIA INSPECTOR GRADE III	WCR	2	1				3				2							
		WR	3			2	1	6	1	1		1							
7	LAB SUPERINTENDENT GRADE III	WR	1					1											
11	PHARMACIST GRADE III	WR	2					2			1								
		WR	6			1	1	8	1		1								
12	RADIOGRAPHER	WCR	2					2				1							
14	ECG TECHNICIAN	WR	1					1											
Total			**29**	**5**	**2**	**9**	**3**	**48**	**3**	**1**	**2**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

RRB BHUBANESWAR																			
			No. of vacancies																
Cat. No	Name of the post	Railway/ PU	UR	SC	ST	OBC	EWS	TO- TAL	Ex SM	Regular					Backlog				
										VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD
2	STAFF NURSE	ECoR	2			1	1	4				1							
6	HEALTH and MALARIA INSPECTOR GRADE III	ECoR	10	3	4	3	1	21	2	1	2	1							
7	LAB SUPERINTENDENT GRADE III	ECoR	1			1		2											
10	PHYSIOTHERAPIST	ECoR		1		1		2		1									
11	PHARMACIST GRADE III	ECoR	2			2		4			1								
12	RADIOGRAPHER	ECoR	1					1											
14	ECG TECHNICIAN	ECoR	1					1											
Total			**17**	**4**	**4**	**8**	**2**	**35**	**2**	**2**	**3**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

RRB BILASPUR																					
			No. of vacancies																		
Cat. No	Name of the post	Railway/ PU	UR	SC	ST	OBC	EWS	TO-TAL	Ex SM	Regular					Backlog				
										VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD
2	STAFF NURSE	CR	3	1	2	3	1	10	1			1							
		SECR	4	1		2	1	8				1							
3	DENTAL HYGIENIST	SECR	1					1											
6	HEALTH and MALARIA INSPECTOR GRADE III	CR			1			1											
		SECR	7	1	1	1		10		1	1	1							
10	PHYSIOTHERAPIST	SECR	1					1											
11	PHARMACIST GRADE III	CR	1		2			3											
		SECR	3			1		4			1								
13	SPEECH THERAPIST	SECR	1					1											
14	ECG TECHNICIAN	SECR	1					1											
Total			**22**	**3**	**6**	**7**	**2**	**40**	**1**	**1**	**2**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

RRB CHANDIGARH																					
			No. of vacancies																		
Cat. No	Name of the post	Railway/ PU	UR	SC	ST	OBC	EWS	TO-TAL	Ex SM	Regular					Backlog				
										VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD
1	DIETICIAN	NR	2					2			1								
2	STAFF NURSE	NR	61	20	10	36	15	142	14			5							
5	EXTENSION EDUCATOR	NR	1					1											
6	HEALTH and MALARIA INSPECTOR GRADE III	NR	7	2	1	4	1	15	1	1	1	1							
8	OPTOMETRIST	NR	2					2											
10	PHYSIOTHERAPIST	NR		1		2		3											
11	PHARMACIST GRADE III	NR	3	2	1		2	8						1					
12	RADIOGRAPHER	NR	6	3		3	1	13			1								
14	ECG TECHNICIAN	NR	2			1		3											
16	LAB ASSISTANT GRADE II	NR	6	1			1	8											
Total			**90**	**29**	**12**	**46**	**20**	**197**	**15**	**1**	**3**	**6**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

RRB CHENNAI																					
			No. of vacancies																		
Cat. No	Name of the post	Railway/ PU	UR	SC	ST	OBC	EWS	TO-TAL	Ex SM	Regular					Backlog				
										VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD
2	STAFF NURSE	SR	49	18	5	6	9	87	9			4							
4	DIALYSIS TECHNICIAN	SR			1	1		2											
5	EXTENSION EDUCATOR	SR	2					2											
6	HEALTH and MALARIA INSPECTOR GRADE III	SR	17	8		7	4	36	4	1	1	1							
10	PHYSIOTHERAPIST	SR	1	1				2		1									
11	PHARMACIST GRADE III	SR	9	4	2	6	2	23	2		1	1							
12	RADIOGRAPHER	SR	2			2		4											
14	ECG TECHNICIAN	SR		1		2		3											
16	LAB ASSISTANT GRADE II	SR	8	1	1	3	1	14	1			1							
Total			**88**	**33**	**9**	**27**	**16**	**173**	**16**	**2**	**2**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

RRB GORAKHPUR

Cat. No	Name of the post	Railway/ PU	No. of vacancies							Regular					Backlog				
			UR	SC	ST	OBC	EWS	TO-TAL	Ex SM	VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD
2	STAFF NURSE	MCF	4					4											
		NER	15	7	4	11	4	42	4			3					1		
6	HEALTH and MALARIA INSPECTOR GRADE III	MCF	1					1											
		NER	3	1	1	1		6				1							
7	LAB SUPERINTENDENT GRADE III	NER	2					2											
10	PHYSIOTHERAPIST	MCF	1					1		1									
11	PHARMACIST GRADE III	MCF	2					2											
		NER	3	1		2	1	7	1										
14	ECG TECHNICIAN	MCF	1					1											
Total			**32**	**9**	**5**	**14**	**5**	**66**	**5**	**1**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**

RRB GUWAHATI

Cat. No	Name of the post	Railway/ PU	No. of vacancies							Regular					Backlog				
			UR	SC	ST	OBC	EWS	TO-TAL	Ex SM	VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD
2	STAFF NURSE	NFR	25	8	5	16	5	59	6			5							
5	EXTENSION EDUCATOR	NFR	2	1		1		4											
6	HEALTH and MALARIA INSPECTOR GRADE III	NFR	9	1		4	1	15	1	1	1	1							
7	LAB SUPERINTENDENT GRADE III	NFR		1				1											
10	PHYSIOTHERAPIST	NFR	1					1											
11	PHARMACIST GRADE III	NFR	10	4	1	8	3	26	3		1	1							
12	RADIOGRAPHER	NFR	2	1		2	1	6	1		1								
16	LAB ASSISTANT GRADE II	NFR	3	1		1		5											
Total			**52**	**17**	**6**	**32**	**10**	**117**	**11**	**1**	**3**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

RRB JAMMU-SRINAGAR

Cat. No	Name of the post	Railway/ PU	No. of vacancies							Regular					Backlog				
			UR	SC	ST	OBC	EWS	TO-TAL	Ex SM	VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD
2	STAFF NURSE	DMW	4		1			5				1							
		NR	10	3	2	6	2	23	2			3							
		RCF	3			2		5											
3	DENTAL HYGIENIST	RCF	1					1											
6	HEALTH and MALARIA INSPECTOR GRADE III	DMW	1					1											
		NR	6	2	1	4	1	14	1	1	1	1							
		RCF	1					1											
11	PHARMACIST GRADE III	NR	6	1	1	3	1	12	1		1	1							
		RCF	2	1				3											
12	RADIOGRAPHER	RCF	1	1				2											
16	LAB ASSISTANT GRADE II	NR	1					1											
		RCF	2					2											
Total			**38**	**8**	**5**	**15**	**4**	**70**	**4**	**1**	**2**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

RRB KOLKATA																			
			No. of vacancies																
Cat. No	Name of the post	Railway/ PU	UR	SC	ST	OBC	EWS	TO-TAL	Ex SM	Regular					Backlog				
										VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD
2	STAFF NURSE	CLW	10	2	1	4	1	18	2			1							
		ER	36	14	9	25	9	93	9			4							
		SER	16	5	3	10	3	37	4			2							
4	DIALYSIS TECHNICIAN	SER	1			1		2											
5	EXTENSION EDUCATOR	ER	1					1											
		SER	1			1		2											
6	HEALTH and MALARIA INSPECTOR GRADE III	ER	3	2	4	3	1	13	2		1								
		SER	9	3	2	5	1	20	2	2		1							
7	LAB SUPERINTENDENT GRADE III	ER	3	1		1	1	6	1										
		SER	2	1		1		4											
8	OPTOMETRIST	ER	2					2											
9	PERFUSIONIST	ER	1					1											
10	PHYSIOTHERAPIST	SER	1					1											
11	PHARMACIST GRADE III	CLW	3		1	1		5	1										
		ER	5	1	2	3	1	12	1		1	1							
		SER	5	1		1		7	1			1							
12	RADIOGRAPHER	SER	3	1		2	1	7	1										
16	LAB ASSISTANT GRADE II	ER	1	1	1	1	1	5	1										
Total			**103**	**32**	**23**	**59**	**19**	**236**	**25**	**2**	**2**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

RRB MALDA																			
			No. of vacancies																
Cat. No	Name of the post	Railway/ PU	UR	SC	ST	OBC	EWS	TO-TAL	Ex SM	Regular					Backlog				
										VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD
1	DIETICIAN	ER	1					1											
2	STAFF NURSE	ER	12	4	2	5	2	25	2			2							
		SER	5			1		6				1							
6	HEALTH and MALARIA INSPECTOR GRADE III	ER	1	1		1		3											
		SER	2					2											
7	LAB SUPERINTENDENT GRADE III	ER	1	1				2											
10	PHYSIOTHERAPIST	ER	1					1											
		SER	1					1											
11	PHARMACIST GRADE III	ER	1	1				2				1							
		SER	1					1											
12	RADIOGRAPHER	SER	1					1											
Total			**27**	**7**	**2**	**7**	**2**	**45**	**2**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

RRB MUMBAI																				
			No. of vacancies																	
Cat. No	Name of the post	Railway/ PU	UR	SC	ST	OBC	EWS	TO-TAL	Ex SM	Regular					Backlog					
										VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD
2	STAFF NURSE	CR	56	12	9	17	12	106	11			5							
		WR	26	10	5	18	7	66	7			2							
3	DENTAL HYGIENIST	CR	1					1											
		WR	1					1											
4	DIALYSIS TECHNICIAN	WR	1					1											
6	HEALTH and MALARIA INSPECTOR GRADE III	CR	5	1	1	3	1	11	1	1	1								
		WR	2	1				3											
7	LAB SUPERINTENDENT GRADE III	CR		1	1	3		5											
10	PHYSIOTHERAPIST	CR	2		1	1		4				1							
11	PHARMACIST GRADE III	CR	3	1	1	3		8			1	1							
		WR	6	1	1	3	1	12	1		1	1							
12	RADIOGRAPHER	CR	2					2			1								
		WR	1					1											
14	ECG TECHNICIAN	CR	2			2	1	5	1										
		WR	1					1											
15	LADY HEALTH VISITOR	WR	1					1											
16	LAB ASSISTANT GRADE II	CR	1					1											
		WR	2			1		3			1								
Total			**113**	**27**	**19**	**51**	**22**	**232**	**21**	**1**	**5**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

RRB MUZAFFARPUR																				
			No. of vacancies																	
Cat. No	Name of the post	Railway/ PU	UR	SC	ST	OBC	EWS	TO-TAL	Ex SM	Regular					Backlog					
										VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD
2	STAFF NURSE	ECR	6	2	1	5	2	16	2			1							
6	HEALTH and MALARIA INSPECTOR GRADE III	ECR	2	1		1	1	5	1		1								
11	PHARMACIST GRADE III	ECR	4		1			5			1								
Total			**12**	**3**	**2**	**6**	**3**	**26**	**3**	**0**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

RRB PATNA																				
			No. of vacancies																	
Cat. No	Name of the post	Railway/ PU	UR	SC	ST	OBC	EWS	TO-TAL	Ex SM	Regular					Backlog					
										VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD
2	STAFF NURSE	ECR	15	9	2	8	4	38	4			2							
4	DIALYSIS TECHNICIAN	ECR	1			1		2											
6	HEALTH and MALARIA INSPECTOR GRADE III	ECR	8	5	2	8	3	26	3	1									
8	OPTOMETRIST	ECR	1					1											
10	PHYSIOTHERAPIST	ECR	1					1											
11	PHARMACIST GRADE III	ECR	1	1	1			3				1							
12	RADIOGRAPHER	ECR		1	1			2											
16	LAB ASSISTANT GRADE II	ECR	1	1	1			3											
Total			**28**	**17**	**7**	**17**	**7**	**76**	**7**	**1**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

RRB RANCHI																			
			No. of vacancies																
Cat. No	Name of the post	Railway/ PU	UR	SC	ST	OBC	EWS	TO-TAL	Ex SM	Regular					Backlog				
										VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD
2	STAFF NURSE	ECR	3	1		1		5	1										
		SER	8	2	1	4	1	16	1			1							
6	HEALTH and MALARIA INSPECTOR GRADE III	ECR	5	2	1	3	1	12	1	1									
11	PHARMACIST GRADE III	ECR	2					2											
		SER	1	1		1		3						1					
Total			**19**	**6**	**2**	**9**	**2**	**38**	**3**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

RRB SECUNDERABAD																			
			No. of vacancies																
Cat. No	Name of the post	Railway/ PU	UR	SC	ST	OBC	EWS	TO-TAL	Ex SM	Regular					Backlog				
										VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD
2	STAFF NURSE	ECoR	7	1	1	2	1	12	1			1							
		SCR	12	9	10	2	4	37	4			2							
4	DIALYSIS TECHNICIAN	SCR	6	2	1	2		11	1		1								
5	EXTENSION EDUCATOR	SCR				1		1											
6	HEALTH and MALARIA INSPECTOR GRADE III	ECoR	1		1			2											
		SCR	9	6	2	1	2	20	2	1									
8	OPTOMETRIST	SCR	1					1											
10	PHYSIOTHERAPIST	SCR				1		1											
11	PHARMACIST GRADE III	ECoR	5	1		2	1	9	1			1		1					
		SCR	2		2	2		6	1										
12	RADIOGRAPHER	SCR	1		2			3											
14	ECG TECHNICIAN	SCR		1		1		2											
16	LAB ASSISTANT GRADE II	SCR	5	1	1			7	1										
Total			**49**	**21**	**20**	**14**	**8**	**112**	**11**	**1**	**1**	**4**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

पैरामेडिकल कोटियों के विभिन्न पदों के लिए पाठ्यक्रम-केंरोसू 02/2019		
कोटि सं.	पद	पाठ्यक्रम
1	डायटीशियन	मानव जीव विज्ञान और शरीर के क्रियाकलापों का परिचय, न्यूट्रीयन्स(भूमिका और महत्व) समझ-पोषक (पोषण को समझना (सामान्य स्थिति/आरडीए के लिए आहार) एडेवान्स न्यूट्रीशियन,न्यूट्रासियूटिकल का परिचय, विशेष स्थिति और डयट्र थेरेपी का परिचय, क्लीनिकल न्यूट्रीशियन का परिचय, फुड मैक्रोबैयालजी, रोग संभालने की सिफारिश और न्यूट्रीशियन, न्यूट्रीशनल बैयोकेमिस्ट्री, रिसर्च मेथेड सांख्यिकी, चिकित्सा पोषण प्रबंधन, रोग में पाथ फिसियालजी और मेटबालिसम, आम न्यूट्रीसियन और स्वास्थ्य, पीडीयाट्रिक और जिरियाट्रिक न्यूट्रीशियन, फूड़ एलर्जीस और डयट प्रबंधन.
2	स्टाफ नर्स	एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रीशन, बायोकैमिस्ट्री, नर्सिंग फाउन्डेशन, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिकल-सर्जिकल नर्सिंग, (एडल्ट सहित जेरियाट्रिक्स) -I, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी और प्रसूति संबंधी नर्सिंग, नर्सिंग अनुसंधान और सांख्यिकी, नर्सिंग सेवाओं और शिक्षा का प्रबंधन
3	डेन्टल हाईजीनिस्ट	दंत स्वच्छता और मौखिक प्रोफिलैक्सिस, सामुदायिक स्वास्थ्य दंत चिकित्सा, ऑपरेटिव कक्ष तकनीक और चिर पक्ष सहायता, चिकित्सीय नैतीकता और जुरिसप्रूडंस, दंत सामग्री, एनाटॉमी (सामान्य और दंत) फिसियालजी (सामान्य और दंत) फार्माकोलॉजी (सामान्य और दंत) । पैथोलॉजी और बैक्टीरिया (सामान्य दंत) दंत रेडियोलॉजी
4	डायलिसिस तकनीशियन	एनाँटमी,जीवरसायन व फार्माकोलॉजी, शरीर विज्ञान, गुर्दे की बीमारियों का परिचय, सिद्धांतों और डायलिसिस का अभ्यास।
5	एक्सटेन्शन एडुकेटर	सामाजिक विज्ञान की पद्धति और परिप्रेक्ष्य, समाजशास्त्र का सार, सामाजिक अनुसंधान के तरीके, सामाजिक विचार की नींव, सामाजिक स्तर-विन्यास, पर्यावरण और समाज, आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत, भारतीय समाज पर परिप्रेक्ष्य, संस्कृति और व्यक्तित्व, उद्योग और समाज, खुला पाठ्यक्रम, अपराध और समाज, जेरोन्टोलॉजी, विकास का समाजशास्त्र, भारत में जनजातीय समाज
6	स्वास्थ्य व मलेरिया निरीक्षक	खाद्य और पोषण, पर्यावरण स्वच्छता और स्वच्छता इंजीनियरिंग, संक्रामक और गैर- संक्रामक रोग (रोकथाम और नियंत्रण), स्वास्थ्य और मृत्यु सांख्यिकी
7	प्रयोगशाला अधीक्षक ग्रेड-III	समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, फिसियालजी, बेसिक केमिस्ट्री और बायोकैमिस्ट्री, जनरल मेथडोलॉजी, भौतिक विज्ञान, हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी तकनीक, क्लिनिकल पैथोलॉजी और बेसिक हेमेटोलॉजी, पैरासिटालाजी और एन्टोमोलोजी, क्लिनिकल बायोकैमिस्ट्री, कोएगुलेशन एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, इम्यूनोहेमेटोलॉजी, विषाणु विज्ञान, मैकोलजी, एडवांसड सिरोलैजी
8	आप्तोमेट्रीस्ट	शारीरिक और ज्यामितीय ऑप्टिक्स, जनरल एनाटॉमी और जनरल फिजियोलॉजी, ऑकुलर एनाटॉमी और ऑकुलर फिजियोलॉजी, बेसिक बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रीशन, प्रकाश के सिद्धांत, अस्पताल की प्रक्रियाएं, ऑप्टोमेट्रिक ऑप्टिक्स, ऑकुलर रोग, विजुअल ऑप्टिक्स, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्तोमेट्री इंस्ट्रूमेंट्स, विज़ुअल सिस्टम की क्लिनिकल परीक्षा, क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्लिनिक, दूरबीन दृष्टि, ग्लूकोमा, लो विज़न एड्स, डिस्पेंसिंग ऑप्टिक्स, पीडियाट्रिक ऑप्तोमेट्री एंड गेरिएट्रिक ऑप्तोमेट्री, कॉन्टैक्ट लेन्स, लॉ एंड ऑप्तोमेट्री एंड ऑक्यूपेशनल ऑप्तोमेट्री, सिस्टमिक डिज़ीज़, एपिडेमियोलॉजी एंड बयो स्टैटिस्टिक्स, पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी ऑप्तोमेट्री

पैरामेडिकल कोटियों के विभिन्न पदों के लिए पाठ्यक्रम-केंरोसू 02/2019		
9	पर्फ्युशनिस्ट	शरीर रचना विज्ञान की मूल बातें, भौतिक विज्ञान की मूल बातें, जैव रसायन विज्ञान की मूल बातें, जैव सांख्यिकी की मूल बातें, पैथोलॉजी की मूल बातें, रक्त-बैंकिंग की मूल बातें, सूक्ष्म जीव विज्ञान की मूल बातें, केंद्रीय नसबंदी सेवाओं की मूल बातें, अस्पताल संबन्धी जागरूकता, शल्य चिकित्सा विभाग में विभिन्न टेबिल्स / ट्यूबों का परिचय। सर्जिकल जागरूकता, सर्जरी के लिए रोगी की तैयारी, रोगी संबंधी सेवाएं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बेसिक्स ऑफ डायग्नोस्टिक तकनीक, एंजियोग्राफी, ऑक्सीजनेटर, ब्लड पंप का सिद्धांत, ग्रास एनाटॉमी और स्ट्रक्चुरल फीचर्स ऑफ हार्ट, ऑक्सीकरण, मॉनिटरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन और माप, पैथो फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी एंड परफ्यूजन तकनीक, परफ्यूज़न की पर्याप्तता, एप्लाइड परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी का परिचय, परफ्यूजन इक्विपमेंट, बयोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो पल्मोनरी बाईपास के दौरान परफ्यूजन की समस्या, कार्डियो पल्मोनरी बाईपास, बाईपास तकनीक का क्लिनिकल एप्लीकेशन, पर्फयूशन के व्यावसायिक पहल, पोस्टऑपरेटिव इंटेंस केयर यूनिट मैनेजमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन उपकरण नाजुक देखभाल उपकरण।
10	फ़िसियोथेरेपिस्ट	मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एप्लाइड फिजियोलॉजी, फिसियोथेरेपी के लिए बेसिक और एप्लाइड फिजिक्स, बेसिक नर्सिंग एंड फर्स्ट एड, ओरिएंटेशन टू फिजियोथेरेपी, जनरल मेडिसिन / जनरल सर्जरी / पीडियाट्रिक्स / जिरियोट्रीक्स, बायो-मैकेनिक्स, एप्लाइड एनाटॉमी और किनेसियोलॉजी, व्यायाम थेरेपी। माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी, इलेक्ट्रोथेरेपी (कम और मध्यम आवृत्ति), इलेक्ट्रोथेरेपी (उच्च मुफ़तक और एक्टिनोथेरेपी), सामुदायिक चिकित्सा, क्लिनिकल ऑर्थोपेडिक्स, क्लिनिकल कार्डियो-रेस्पिरेटरी डिजीज, बायो स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, फिजिकल मोडेलिटीस मेनटेनेंस, पीटी इन न्यूरोपीडिक्स, पीटी इन न्यूरोलॉजी। पीटी इन कार्डियो रेस्पिरेटरी कंडीशंस, रिहेबिलिटेशन मेडिसिन, एडवांस्ड फिजियोथेरेप्यूटिक्स, फिजिकल एजुकेशन
11	फार्मेसिस्ट ग्रेड-।।।	मानव शरीर रचना विज्ञान और फिजियोलॉजी, फार्मास्युटिकल विश्लेषण, फारमास्युटिक्स, फार्मास्युटिकल अकार्बनिक रसायन विज्ञान, उपचारात्मक जीवविज्ञान / उपचारात्मक गणित, फार्मास्युटिकल कार्बनिक रसायन विज्ञान, जैव रसायन, पेथोफिसियोलजी, फार्मेसी में कंप्यूटर अनुप्रयोग, पर्यावरण विज्ञान, भौतिक फारमास्युटिक्स, फार्मास्युटिकल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्युटिकल इंजीनियरिंग, औषधीय रसायन विज्ञान, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नॉसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फार्मास्युटिकल जूरिसप्रूडेंस, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, बायोफार्मासुटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्मास्युटिकल बायोटेक्नोलॉजी, क्वालिटी एश्योरेंस, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, फार्मेसी प्रैक्टिस, नॉवेल ड्रग डिलिवरी सिस्टम, बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट , फार्मास्युटिकल रेगुलेटरी साइंस, फार्माकोविजिलेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल्स, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कॉस्मेटिक साइंस, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन तकनीकी, आहार की खुराक और न्यूट्रास्युटिकल्स
12	रेडियोग्राफर	ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, रेडियोलॉजी फिजिक्स, जनरल फिजिक्स, रेडिएशन फिजिक्स एंड फिजिक्स ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, एक्स-रे मशीन एंड एक्ससरीज, मेंटेनेंस, एक्स-रे फिल्म / इमेज प्रोसेसिंग तकनीक (डार्क रूम टेक्निक्स), क्लीनिकल रेडियोग्राफी-पोजिशनिंग, मेडिकल एथिक्स और रोगी की देखभाल, मेडिकल इमर्जेंसी के सिद्धांत, उपकरण, आधुनिक इमेजिंग मॉडल की तकनीक, कंट्रास्ट और विशेष रेडियोग्राफी प्रक्रिया, रेडियोलॉजी और विकिरण संरक्षा पर गुणवत्ता नियंत्रण

पैरामेडिकल कोटियों के विभिन्न पदों के लिए पाठ्यक्रम-केंरोसू 02/2019		
13	स्पीच थेरेपिस्ट	ध्वनि और श्रवण, कान का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, सुनवाई हानि, सुनवाई का मूल्यांकन, प्रारंभिक पहचान और रोकथाम, भाषण और भाषा पैथोलॉजी, भाषण तंत्र के शरीर रचना और शरीर विज्ञान, भाषण और भाषा का विकार, भाषण विकारों का आकलन, भाषा विकारों का आकलन, भाषा विकारों का आकलन श्रवण यंत्र और कान के अंग, श्रवण शिक्षा, भाषण-वाचन, सुनने में परेशान, बच्चों की शिक्षा, पुनर्वास, विकलांगता के मुद्दे, भाषण विकारों का प्रबंधन, भाषा विकारों का प्रबंधन, शैक्षिक मुद्दे, प्रबंधन में सामान्य मुद्दे
14	ईसीजी तकनीशियन	एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, हृदय रोगों का परिचय, बुनियादी हृदय जाँच, उन्नत हृदय जाँच
15	लेडी हेल्थ विसिटर	सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, स्वास्थ्य संवर्धन, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, मिडवाइफरी, बाल-स्वास्थ्य देखभाल नर्सिंग, स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन
16	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड- ।।	एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल लैबोरेट्री टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल, माइक्रोबायोलॉजी, क्लीनिकल बायोकैमिस्ट्री, पैथोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी और ब्लड एंड बैंक

केंरोसू 02/2019 में सूचित सभी पद के लिए लागू

क्र.	विषय	पाठ्यक्रम
1.	सामान्य गणित	अंक प्रणाली, बॉडमस (बीडीमास), दशमलव, भिन्न, लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक (एलसीएम व जीसीडी), अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय तथा कार्य, समय तथा दूरी, सामान्य तथा चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ व हानी, सामान्य बीज गणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्रारंभिक सांख्यिकी, स्कोयर रूट, वयस गणना, कैलंडर व क्लाक,पाईप व सिस्टर्न.
2.	सामान्य बुद्धि और तर्क	समान अनुरूपता, वर्णानुक्रम एवं संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डीकोडिंग, गणितीय संक्रियाएँ, संबंध, सैलोजिसम, क्रम में रखना (जंबलिंग), वेनडायग्राम, आँकड़ा पर्याप्तता, कथन-निष्कर्ष, कथन-निर्णय, समानता और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, निर्देश, विवरण-तर्क एवं धारणा आदि।
3.	सामान्य जागरूकता	राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएँ, भारत की भूगोल, स्वतंत्रता संग्राम सहित भारत की कला और इतिहास, भारतीय राजनीति और शासन-संविधान, भारतीय अर्थ-व्यवस्था, भारत और विश्व में पर्यावरण का मुद्दा, खेल/क्रीडा, सामान्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास आदि।
4.	सामान्य विज्ञान	भौतिक,रसायनिक और जीव विज्ञान (सीबीएससी पाठ्यक्रम के दसवीं कक्ष तक के विषय।